संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

वेबसाईट : www.mplads.nic.in
जून, 2016

संसद सदस्य
स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स)
संबंधी दिशा–निर्देश

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001

वेबसाईट : www.mplads.nic.in

जून 2016

विषय सूची

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1	माननीय मंत्री का संदेश	ii
2	सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा आमुख	iii
3	महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या	iv
4	पृष्ठभूमि	1
5	विशेषताएं	2
6	कार्यान्वयन	6
7	निधि जारी करना और उसका प्रबंधन	19
8	लेखांकन प्रक्रिया	25
9	निगरानी	27
10	दिशानिर्देशों का अनुप्रयोग	31
11	अनुबंध–I	32
12	अनुबंध–II	33
13	अनुबंध–IIक	35
14	अनुबंध–III	45
15	अनुबंध–IVक	46
16	अनुबंध–IVख	48
17	अनुबंध–IVग	50
18	अनुबंध–IVघ	52
19	अनुबंध–IVङ	54
20	अनुबंध–V	59
21	अनुबंध–VI	62
22	अनुबंध–VII	65
23	अनुबंध–VIII	66
24	अनुबंध–IX	67
25	अनुबंध–X	69
26	अनुबंध–Xक	72
27	अनुबंध–Xख	73
28	अनुबंध–XI	74
29	अनुबंध–XII	75

जनरल (डा.) विजय कुमार सिंह
पी वी एस एम, ए वी एस एम, वाई एस एम (से.नि.)
General (Dr.) Vijay Kumar Singh
PVSM, AVSM, YSM (Retd.)

राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एवं
विदेश राज्य मंत्री, भारत सरकार, नई दिल्ली
Minister of State (Independent Charge) for Statistics & Programme Implementation and Minister of State for External Affairs Government of India, New Delhi

सन्देश

1. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (सां.और कार्य.कार्या.मंत्रा.) ने संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) संबंधी दिशा-निर्देशों का नवीनतम संस्करण प्रकाशित किया है ।

2. एमपीलैड्स मुख्य रूप से विकास कार्यों तथा टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए है। इसमें माननीय सांसदों की अनुशंसाकर्ता की भूमिका है, तथा जिला प्राधिकारी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होते हैं । कार्य राज्य सरकार के प्रशासनिक, वित्तीय और तकनीकी नियमों के अनुसार तथा एमपीलैड्स संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला प्राधिकारियों/कार्यान्वयनकर्ता एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं।

3. दिनांक 15 मई 2014 को दिशा-निर्देशों के पूर्व संस्करण के प्रकाशन के उपरांत जारी किए गए आशोधन और अनुदेश दिनांक 1 जून 2016 के इस नवीनतम संस्करण में शामिल किए गए हैं ।

4. स्वच्छ भारत के लक्ष्य की दिशा में, एमपीलैड्स के अंतर्गत स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं की किसी संरचना के निर्माण के समय जिला प्राधिकारियों द्वारा शौचालयों की अपेक्षित संख्या सुनिश्चित करने पर बल दिया गया है । स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सामुदायिक भवनों, जल-निकायों, आदि जैसे सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों पर वर्षा जल एकत्र करने की प्रणालियों की संस्थापना (जल भंडारण और भूमिगत जल की पूर्ति दोनों हेतु) की अनुमति प्रदान की गई है । कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण देने हेतु शैल्टरों के निर्माण को पात्र कार्यों की सूची में शामिल किया गया है । एक्सेसिबल इंडिया कैम्पेन (सुगम्य भारत अभियान) के आलोक में यह निर्णय लिया गया है कि एमपीलैड्स के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियां जहां कहीं व्यवहार्य हैं, विकलांग लोगों के अनुकूल बनाई जाएं ।

5. मुझे आशा है एमपीलैड्स संबंधी नवीनतम दिशा-निर्देश स्कीम के बेहतर, समयानुसार और नियमबद्ध कार्यान्वयन में सहायक सिद्ध होंगे ।

101, Sardar Patel Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001
Tel: 011-23367245, 23340739, 23340884, Fax: 011-23340138

Residence: 36, Dr. A.P.J. Abdul Kalam Road, New Delhi-110011
Tel: 011-23794516, 23017056, Fax: 011-23013800

डॉ. टी. सी. ए. अनंत
सचिव
DR. T.C.A. Anant
Secretary

भारत सरकार
Government of India
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
Ministry of Statistics & Programme Implementation
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001
Sardar Patel Bhawan, Sansad Marg, New Delhi-110001
फोन/ Tel: 011-23742150 फैक्स / Fax: 23742067
E-mail : tca.anant@nic.in

आमुख

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना विकास कार्यों तथा टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए है। योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत लाभ और चल तथा गैर–टिकाऊ परिसंपत्तियां (कुछ अपवादों को छोड़कर) सामान्यतः अनुमत्य नहीं हैं। इसके अंतर्गत सड़कों, विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर महसूस की गई जरूरतों पर आधारित टिकाऊ सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर बल दिया गया है।

संसद सदस्यों द्वारा समुदाय की बेहतरी के उद्देश्य से कार्यों की सिफारिशें की जाती हैं। इन कार्यों का कार्यान्वयन जिला प्राधिकारियों द्वारा संबंधित राज्य सरकारों के वित्तीय, तकनीकी और प्रशासनिक नियमों के अनुसार किया जाता है।

योजना का कार्यान्वयन एमपीलैड्स संबंधी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाता है जो सर्वप्रथम फरवरी 1994 में जारी किए गए थे और समय–समय पर अद्यतन किए गए हैं। पिछली बार इन्हें मई 2014 में अद्यतन किया गया था। वर्तमान अंक एमपीलैड्स संबंधी संसदीय समिति की सिफारिशों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों, संसद सदस्यों और अन्य हितधारकों से प्राप्त सुझावों तथा पुनरीक्षा बैठकों के दौरान राज्य सरकारों से प्राप्त फीडबैक को ध्यान में रखते हुए बाद में जारी किए गए परिपत्रों पर आधारित है।

एमपीलैड्स संबंधी दिशा–निर्देश, जून 2016 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा घोषित स्कीमों जैसेकि स्वच्छ भारत अभियान, सुगम्य भारत अभियान, वर्षा जल संचयन के माध्यम से जल संरक्षण और सांसद आदर्श ग्राम योजना आदि के कार्यान्वयन संबंधी निर्देशों को शामिल किया गया है।

मैं मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि यह संकलन माननीय संसद सदस्यों, जिला प्राधिकारियों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

टी.सी.ए. अनंत

(टी.सी.ए. अनंत)

महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नाम/पदनाम	दूरभाष (कार्या.)
राज्य मंत्री (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन)	23340884, 23340739, 23367245, 23747135 (फैक्स)
राज्य मंत्री के निजी सचिव	23340884, 23340739 23367245, 23747135 (फैक्स)
सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	23742150, 23344689 23742067 (फैक्स)
अपर सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	23344551, 23362878 (टेली फैक्स)
अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार	23384360, 23389388 (टेली फैक्स)
उप महानिदेशक (कार्यक्रम कार्यान्वयन)	23746725, 23746725 (टेली फैक्स)
निदेशक (एमपीलैड्स)	23344933, 23364197 (फैक्स)
निदेशक (आन्तरिक वित्त प्रभाग)	23364196
संयुक्त निदेशक (एमपीलैड्स)	23364193
एमपीलैड्स संबंधी लोक सभा समिति	
अध्यक्ष	23034115, 23017576 (फैक्स)
संयुक्त सचिव	23035571, 23035569
निदेशक	23035383, 23034866
उप सचिव	23034013
एमपीलैड्स संबंधी राज्य सभा समिति	
अध्यक्ष	23017371, 23034689, 23012559 (फैक्स)
अपर सचिव	23034206
निदेशक	23034201
संयुक्त निदेशक	23035425

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
दिशा–निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 आम जनता अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कतिपय मूलभूत सुविधाओं के प्रावधान हेतु संसद सदस्यों (एमपी) के पास जाती है।

1.2 प्रधान मंत्री ने 23 दिसम्बर, 1993 को संसद में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) की घोषणा की थी। आरंभ में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में थी। फरवरी, 1994 में प्रथम दिशानिर्देश जारी किए गए, जिसमें योजना की संकल्पना, कार्यान्वयन और निगरानी को शामिल किया गया था। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अक्तूबर, 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को हस्तांतरित की दी गई। दिसम्बर 1994, फरवरी 1997, सितम्बर 1999, अप्रैल 2002, नवंबर, 2005 तथा अंतिम बार अगस्त, 2012 में दिशा–निर्देशों में उत्तरवर्ती संशोधन किए गए। दिशानिर्देशों में किए गए वर्तमान व्यापक संशोधन पिछले 22 वर्षों के दौरान प्राप्त अनुभव पर आधारित हैं, और संसद सदस्यों, लोक सभा/राज्य सभा की दोनों समितियों, नाबार्ड कंसल्टेंसी सेवा (नैबकॉन्स) सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा दिए गए सुझावों तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की रिपोर्टों में दिए गए सुझावों पर विचार करने के पश्चात् लागू किए गए हैं।

1.3 योजना का उद्देश्य, संसद सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन पर जोर देते हुए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने हेतु सक्षम बनाना है। योजना के आरंभ से ही, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की स्थायी परिसंपत्तियों अर्थात् पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सड़क इत्यादि का सृजन किया जा रहा है।

1.4 वर्ष 1993–94 में जब योजना को लागू किया गया, प्रत्येक संसद सदस्य को 5 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई थी, जो 1994–95 से प्रत्येक संसद सदस्य के निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक करोड़ रूपए प्रति वर्ष हो गई थी। 1998–99 से इसे बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दिया गया था तथा फिलहाल वित्तीय वर्ष 2011–12 से इसे बढ़ाकर 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है।

1.5 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, योजना के कार्यान्वयन के लिए नीतियां बनाने, निधियां जारी करने और निगरानी तंत्र निर्धारित करने के लिए जिम्मेदार रहा है। राज्य संघ राज्यक्षेत्र में किसी एक विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया जाता है जिस पर एमपीलैड्स के कार्यान्वयन के पर्यवेक्षण, निगरानी और जिलों तथा अन्य संबंधित विभागों के साथ उसके समन्वय का समग्र उत्तरदायित्व होता है। भारत सरकार, जिला प्राधिकारियों को जारी की गई एमपीलैड्स निधियों के बारे में राज्य नोडल विभाग को अवगत कराती है। जिला प्राधिकारी, एमपीलैड्स के कार्यान्वयन की स्थिति से भारत सरकार और राज्य नोडल विभाग को अवगत कराता है।

2 विशेषताएं

2.1 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एक योजना स्कीम है जिसके लिए निधि पूरी तरह भारत सरकार द्वारा दी जा रही है। एमपीलैड्स निधियों की वार्षिक पात्रता प्रति संसद सदस्य निर्वाचन क्षेत्र 5 करोड़ रूपए है।

2.2 पैरा 2.8 और 2.9 में किए गए उपबंधों को छोड़कर, लोक सभा सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों के भीतर कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं तथा राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य, अपने निर्वाचन राज्य के भीतर कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। राज्य सभा एवं लोक सभा, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य देश में कहीं भी कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं।

2.3 संसद सदस्य, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय हेतु दिशानिर्देशों के अनुबंध–I में अपनी पसंद के नोडल जिले का उल्लेख करेंगे और उसकी प्रति राज्य सरकार और चयनित जिले के जिला मजिस्ट्रेट को भेजेंगे। यदि कोई लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिले में फैला हुआ है, सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले किसी एक जिले को नोडल जिले के रूप में चुन सकते हैं। राज्य सभा सांसद अपने निर्वाचन राज्य के किसी भी जिले को नोडल जिले के रूप में चुन सकते हैं। राज्य सभा एवं लोक सभा, दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य देश के किसी भी जिले को नोडल जिले के रूप में चुन सकते हैं।

2.4 अनुबंध–II में प्रतिबंधित कार्यों के अलावा वे सभी कार्य जो स्थानीय अवसंरचना और विकास की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हों और जिनका जोर निर्वाचन क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों के सृजन पर हो, एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुमेय हैं। अनुबंध–IIक में दी गई सूची के अनुसार अस्थायी प्रकृति की विशिष्ट मदों के संबंध में किया जाने वाला व्यय भी अनुमेय है।

2.5 **अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों का विकासः** अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के निवास क्षेत्रों का विकास अत्यावश्यक है ताकि ऐसे क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास पर विशेष ध्यान दिया जा सके। संसद सदस्यों को प्रति वर्ष एमपीलैड्स निधियों में से अनुसूचित जाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए कम से कम 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए 7.5 प्रतिशत की लागत के कार्यों की अनुशंसा करनी होती है। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक संसद सदस्य के 5 करोड़ रु. के वार्षिक आवंटन में से अनुसूचित जाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए कम से कम 75 लाख रुपए और अनुसूचित जनजाति के लोगों के निवास क्षेत्रों के लिए 37.5 लाख रुपए की लागत के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा की जाएगी। यदि लोक सभा सदस्य के क्षेत्र में अपर्याप्त जनजातीय जनसंख्या है, वे इस धनराशि की अनुशंसा अपने निर्वाचन क्षेत्र के बाहर किन्तु अपने निर्वाचन– राज्य के भीतर स्थित जनजातीय क्षेत्रों में सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन हेतु कर सकते हैं। यदि, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति की बसावट वाला क्षेत्र नहीं है तो यह राशि अनुसूचित जाति के निवास क्षेत्रों में उपयोग में लाई जा सकती हैं और विपरीत स्थिति में भी ऐसा ही होगा। दिशानिर्देशों के इस प्रावधान को लागू करने का दायित्व जिला प्राधिकारी का होगा। इस दिशानिर्देश के कार्यान्वयन को सुकर बनाने के लिए, जिला प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह राज्य और केन्द्र सरकार के वर्तमान प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे क्षेत्रों की घोषणा करे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लाभ के लिए निर्धारित निधियों के उपयोग हेतु पात्र हैं।

2.5.1 **25 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि को जनजातीय क्षेत्रों में ही व्यय किया जाए:** जनजातीय लोगों की बेहतरी के लिए न्यासों एवं सोसाइटियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों के पैरा 3.21.2 में न्यासों एवं सोसाइटियों द्वारा परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए निर्धारित 50 लाख रूपए की सीमा को 50% बढ़ाकर 75 लाख कर दिया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा (क) सामुदायिक निर्माण कार्य प्राथमिक रूप से जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय लोगों के लाभ के लिए हों (ख) आरंभ किए गए कार्य तथा लाभार्थी न्यास/सोसाइटी एमपीलैड्स दिशानिर्देशों की अन्य सभी शर्तों को पूरा करती हों।

आदिवासी क्षेत्रों तथा अधिसूचित क्षेत्रों में जहां भूमि शीर्ष को अंतरित करना संभव नहीं है वहां सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए एमपीलैड्स कार्य उसी पद्धति से संचालित किए जाएंगे जैसाकि राज्य सरकार केन्द्र/राज्य सरकार की अन्य विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत विद्यालयों, अस्पतालों, सड़कों आदि जैसे सभी अन्य सार्वजनिक कार्यों के सृजन का दायित्व लेती है। तथापि, यह उन शर्तों के अधीन होगा कि भूस्वामी द्वारा वचनपत्र दिया जाएगा कि वह ऐसी भूमि पर अथवा सरकार को सार्वजनिक उपयोग के लिए दी गई भूमि पर सृजित परिसंपत्तियों पर किसी अधिकार का दावा नहीं करेगा और यह कि एमपीलैड्स दिशानिर्देशों की सभी अन्य शर्तों को पूरा करने के अलावा समुदाय के सभी सदस्यों के लिए परिसंपत्तियों के प्रयोग की निर्बाध पहुंच होगी।

2.5.2 यदि कोई निर्वाचन क्षेत्र अ.जा./अ.ज.जा. की अपर्याप्त जनसंख्या के कारण एमपीलैड्स–दिशानिर्देशों में निर्धारित अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित प्रावधानों को कार्यान्वित करने में समस्या का सामना करता है तो संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की पूर्व अनुमति से एमपीलैड्स निधि के उपयोग के लिए निर्धारित प्रावधान से छूट प्रदान कर सकता है। संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी, संबंधित संसद सदस्य के परामर्श से राज्य सरकार के माध्यम से युक्ति संगत एवं तर्क संगत प्रस्ताव भेजेगा जिसमें वह निर्वाचन क्षेत्र में अन्य आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के कल्याण के लिए निर्धारित राशि के उपयोग की मांग करेगा।

2.5.3 जिला प्राधिकारी निधि की आंतरिक परिवर्तनशीलता सहित अ.जा./अ.ज.जा. क्षेत्रों के लिए प्रावधान को कार्यान्वित करने संबंधी आंकड़ों एवं सूचना का रखरखाव करेगा तथा इसे त्रैमासिक आधार पर राज्य सरकार के नोडल विभाग को भी भेजेगा।

2.6 **कार्यों की अनुशंसा/स्वीकृति:** "प्रत्येक सांसद, संबद्ध जिला प्राधिकारी को अनुबंध–III में दिए गए प्रपत्र में वित्तीय वर्ष के दौरान, वार्षिक पात्रता की सीमा तक कार्यों की अनुशंसा करेगा। जिला प्राधिकारी, राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार पात्र स्वीकृत कार्यों को निष्पादित कराएंगे।" (तथापि तकनीकी स्वीकृति, निविदा/गैर–निविदा, दरों की अनुसूची आदि के मामले में, प्रशासनिक स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करने की शक्तियां जिला प्राधिकारी के पास जारी रहेंगी)।

2.7 **"प्राकृतिक एवं मानव–निर्मित आपदाएं:** बाढ़, चक्रवात, सुनामी, भूकंप, ओलावृष्टि, हिमस्खलन, बादल फटना एवं कीट–हमला, भूस्खलन, तूफान, अनावृष्टि, आग लगना, रासायनिक, जैविक एवं रेडियोलॉजिकल खतरों जैसी आपदाओं की संभावना वाले अथवा उनसे प्रभावित क्षेत्रों में भी एमपीलैड्स कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकता है। उक्त राज्य के अप्रभावित क्षेत्रों के लोक सभा सांसद, उस राज्य के प्रभावित क्षेत्रों में अधिकतम 25 लाख रुपये प्रति वर्ष तक के अनुमेय कार्यों की अनुशंसा कर

सकते हैं। संबंधित सांसद की निधियां नोडल जिले द्वारा प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी को जारी की जाएंगी। प्रभावित क्षेत्र के जिला प्राधिकारी द्वारा एमपीलैड्स निधियों को दिशानिर्देशों में अनुमेय कार्यों के लिए एकत्र किया जा सकता है। नोडल जिले से प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को इस प्रकार हस्तांतरित की गई राशि, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में पुनर्वास कार्य के लिए प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को हस्तांतरित की गई राशि के रूप में दर्शायी जा सकती है। ऐसे कार्यों के लिए कार्य समापन रिपोर्ट, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र और निधियां प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा समग्र समाधान के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। एमपीलैड्स निधि की उत्तरवर्ती किस्त को जारी करते समय इस संबंध में नोडल जिला प्राधिकारी से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में अलग से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/समापन रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी।

2.7.1 नोडल विभाग एमपीलैड्स निधियों की प्रतिबद्धता के एक महीने की अवधि के भीतर पुनर्वास कार्यों की पहचान करेगा और पुनर्वास कार्य संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा कार्यों के अनुमोदन की तारीख से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि कार्यों को पूरा करने के लिए और अधिक समय अपेक्षित हो तो नोडल विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श से कार्यों को पूरा करने के लिए उचित अतिरिक्त समय की अनुमति प्रदान करेगा।

2.8 देश के किसी भाग में "गंभीर प्रकृति की आपदा" की स्थिति में, सांसद प्रभावित जिले के लिए अधिकतम 1 करोड़ रुपए के कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। यह भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि आपदा गंभीर प्रकृति की है अथवा नहीं। इस संबंध में अनुमेय कार्यों को करवाने के लिए निधियां संबंधित सांसद के नोडल जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा प्रभावित जिले के जिला .प्राधिकारी को जारी की जाएंगी। नोडल जिले से प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को इस प्रकार हस्तांतरित की गई राशि, उपयोगिता प्रमाणपत्र तथा मासिक प्रगति रिपोर्ट में पुनर्वास कार्य के लिए प्राकृतिक आपदा प्रभावित जिले को हस्तांतरित की गई राशि के रूप में दर्शायी जा सकती है। ऐसे कार्यों के लिए कार्य समापन रिपोर्ट, लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र और निधियां प्रभावित जिले के जिला प्राधिकारी द्वारा समग्र समाधान के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। एमपीलैड्स निधि की उत्तरवर्ती किस्त को जारी करते समय इस संबंध में नोडल जिला प्राधिकारी से हस्तांतरित की गई राशि के संबंध में अलग से कोई उपयोगिता प्रमाणपत्र/लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र/समापन रिपोर्ट अपेक्षित नहीं होगी।

2.8.1 नोडल विभाग एमपीलैड्स निधियों की प्रतिबद्धता के एक महीने की अवधि के भीतर पुनर्वास कार्यों की पहचान करेगा और पुनर्वास कार्य संबंधित जिला प्राधिकरण द्वारा कार्यों के अनुमोदन की तारीख से 8 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। यदि कार्यों को पूरा करने के लिए और अधिक समय अपेक्षित हो तो नोडल विभाग, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के परामर्श से कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय की अनुमति प्रदान करेगा।

2.9 **सांसद के निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अथवा उसके राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर स्थित किसी क्षेत्र को एमपीलैड्स निधियों का अंशदानः** "यदि कोई निर्वाचित सांसद यह महसूस करता है कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर अथवा राज्य के भीतर उसके निर्वाचन क्षेत्र के बाहर स्थित किसी

क्षेत्र को, अथवा दोनों ही मामलों में, एमपीलैड्स निधियों से अंशदान दिए जाने की आवश्यकता है, तो उक्त सांसद इन दिशानिर्देशों के तहत एक वित्त वर्ष में अधिकतम 25 लाख रुपए तक के पात्र कार्यों की अनुशंसा कर सकता है। किसी सांसद की ओर से की गई ऐसी कार्रवाई से जमीनी स्तर पर राष्ट्रीय एकता, सामंजस्य एवं भ्रातृत्व की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे मामलों में, नोडल जिला प्राधिकारी दिशानिर्देशों के अंतर्गत उसे प्रदान किए गए समन्वयन एवं अन्य कार्यकलापों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। कार्यान्वयन करने वाले जिला प्राधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों की कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र, संबंधित नोडल जिला प्राधिकारी को उपलब्ध करवाए जाएंगे जिससे निधियां प्राप्त हुई हैं।''

2.9.1 बशर्ते कि न्यासों/सोसायटियों अैर सहकारी संस्थाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्र/राज्य के बाहर का अंशदान अनुमेय नहीं होगा।

2.10 **जिला प्राधिकारीः** सामान्य तौर पर जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट/उपायुक्त, जिले में एमपीलैड्स कार्यों के कार्यान्वयन के लिए जिला प्राधिकारी होंगे। यदि जिला आयोजना समिति को राज्य सरकार द्वारा अधिकार प्रदान किया गया है, तो जिला आयोजना समिति का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकता है। नगर निगमों के संबंध में, आयुक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। इस संबंध में, किसी संदेह की स्थिति में भारत सरकार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के परामर्श से एमपीलैड्स कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ जिला प्राधिकारी का निर्णय करेगी।

2.11 **कार्यान्वयन एजेंसीः**

(क) जिला प्राधिकारी उपयुक्त कार्यान्वयन एजेंसी का चयन करेगा जिसके माध्यम से संसद सदस्य द्वारा संस्तुत किसी कार्य विशेष को निष्पादित किया जाएगा।

(ख) कार्यान्वयन एजेंसी का चयन इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाएगा। बशर्ते कि कतिपय केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/संगठनों (जैसे रेलवे) में कतिपय कार्यों के संबंध में जहां कार्यान्वयन एजेंसी आवश्यक रूप से केन्द्र सरकार का संबंधित मंत्रालय/संगठन होगी, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में उसी का चयन किया जाएगा।

3. कार्यान्वयन

3.1 प्रत्येक सांसद उपयुक्त कार्यों की अनुशंसा सांसद के पत्र शीर्ष पर विधिवत रूप से हस्ताक्षर करके भेजेगा। अनुबंध–III पर संसद सदस्यों द्वारा जिला प्राधिकारी को भेजे जाने वाले पत्रों का प्रपत्र दिया गया है। तीसरे पक्षों तथा संसद सदस्यों के प्रतिनिधियों द्वारा की गई अनुशंसाएं अनुमेय नहीं है तथा उन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

3.2 यदि किसी निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक जिले हैं और संसद सदस्य नोडल जिले के अलावा किसी अन्य जिले में कार्यों की अनुशंसा करना चाहता है, ऐसे मामलों में नोडल जिले के जिला प्राधिकारी को निर्धारित प्रपत्र में कार्यों की सूची दी जाएगी तथा इसकी एक प्रति उस जिला प्राधिकारी को दी जाएगी जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों का निष्पादन किया जाना है। जिस जिला प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र में प्रस्तावित कार्यों का निष्पादन किया जाना है, वह समुचित लेखे रखेगा और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु समुचित प्रक्रिया का पालन करेगा। जिला प्राधिकारी ऐसे कार्यों के लिए मासिक प्रगति रिपोर्टें, कार्य समापन रिपोर्टें तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र नोडल जिला प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

3.3 जिला प्राधिकारी ऐसी कार्यान्वयन एजेंसी की पहचान करेगा जो पात्र कार्यों का कार्यान्वयन गुणवत्तापूर्वक, समय पर और संतोषजनक रूप से करने में सक्षम हो। जिला प्राधिकारी कार्य निष्पादन के मामले में संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के स्थापित तरीकों से काम की जांच, तकनीकी कार्य का आकलन, निविदा एवं प्रशासनिक प्रक्रिया का अनुपालन करेगा और ऐसे कार्यों के समय–समय पर और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होगा।

3.3.1 **परित्यक्त/निलंबित कार्यों को पूरा करना**:– यदि अभी भी योजना के तहत कोई परित्यक्त/निलंबित एमपीलैड कार्य मौजूद है, इसे राज्य सरकार द्वारा अपनी स्वयं की निधियों से पूरा किया जाएगा। राज्य सरकार इस संबंध में उत्तरदायित्व भी निश्चित करेगी तथा चूककर्ता पदधारियों के विरुद्ध आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगी। जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करें कि निधियों का उपयोग अवश्य ही इस प्रकार होना चाहिए जैसाकि पहले स्वीकृत किया गया था ताकि निधियों के आवंटन की द्विरावृत्ति न हो।

3.4 संसद सदस्य द्वारा कार्य एवं कार्य के निष्पादन के लिए चयनित कार्य स्थल को संबंधित संसद सदस्य की सहमति के बिना बदला नहीं जाएगा, किन्तु जब कार्य आरंभ हो जाएगा और व्यय संबंधी दायित्व वहन कर लिया जाएगा, परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

3.5 जहां जिला प्राधिकारी को महसूस हो कि किसी कारण से अनुशंसित कार्य को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता, जिला प्राधिकारी, प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से यथाशीघ्र किन्तु 45 दिनों के भीतर भारत सरकार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को सूचित करते हुए, संबंधित संसद सदस्य को कारणों से अवगत कराएगा।

3.6 जिला प्राधिकारी को, स्वीकृत कार्य के निष्पादन से पूर्व प्रस्तावित परिसंपत्ति के प्रचालन, रखरखाव एवं अनुरक्षण के संबंध में संबंधित उपयोगकर्ता एजेंसी से अग्रिम रूप से दृढ़ वचनबद्धता प्राप्त करनी चाहिए।

3.7 संसद सदस्य की अनुशंसा के अनुसार, पूर्ण पात्रता की सीमा तक जिला प्राधिकारी कार्यों को स्वीकृति प्रदान करेगा। तथापि, निधियों को जारी करने की प्रक्रिया उस प्रकार विनियमित की जाएगी जैसाकि दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है।

3.8 यदि किसी कार्य की अनुमानित राशि, संसद सदस्य द्वारा उसी कार्य के लिए इंगित राशि से अधिक है, तो स्वीकृति देने से पूर्व संसद सदस्य की सहमति आवश्यक है।

3.9 कार्य को केवल तभी स्वीकृत एवं निष्पादित किया जाना चाहिए यदि संबंधित संसद सदस्य ने वर्ष में कार्य की पूर्ण अनुमानित लागत आबंटित कर दी है। यदि पूर्ण अनुमानित राशि के लिए वचनबद्धता प्राप्त न हो और संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित राशि कार्य हेतु प्राक्कलित राशि से कम है और ऐसा कोई अन्य स्रोत भी नहीं है जिससे इस कमी को पूरा किया जा सके, तो कार्य को स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना, पर्याप्त निधियों की कमी के कारण अधूरी पड़ी रहेगी। संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित राशि की तुलना में अनुमानित लागत में आई कमी के बारे में संसद सदस्य को शीघ्रातिशीघ्र किन्तु प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम 75 दिनों के भीतर सूचना दी जानी चाहिए।

3.10 यदि, जिला प्राधिकारी को संसद सदस्य की पात्रता से अधिक अनुशंसाएं प्राप्त होती हैं, तो प्राथमिकता 'पहले प्राप्त पर पहले विचार' सिद्धांत के अनुसार दी जानी चाहिए।

3.11 ऐसे सभी कार्यों का निष्पादन अपेक्षित होता है जिनके लिए अनुशंसाएं संसद सदस्य के कार्यकाल के अंतिम दिन तक जिला प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त हो जाती हैं, बशर्ते वे मानकों के अनुसार हों और संसद सदस्य की एमपीलैड्स निधियों की पात्रता की सीमा में हों।

3.12 ''सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात्, सभी अनुशंसित पात्र कार्य अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से 75 दिनों के भीतर स्वीकृत किए जाने चाहिए। तथापि, जिला प्राधिकारी अनुशंसाओं की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर अस्वीकृति, यदि कोई है, के संबंध में उनके कारणों सहित संसद सदस्यों को सूचित करेगा।''

''यदि इस खंड में उल्लिखित समय सीमाएं निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित आदर्श आचार संहिता के प्रचालन की अवधि के भीतर आती हैं, तो यह अवधि जो आदर्श आचार संहिता द्वारा अधिसूचित की गई है, समय–सीमाओं की गणना में शामिल नहीं की जाएगी।''

3.13 स्वीकृति पत्र/आदेश में कार्यान्वयन एजेंसी के लिए कार्य समापन की समय–सीमा निर्धारित की जाएगी। कार्य समापन के लिए समय–सीमा सामान्य तौर पर एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि किसी विशेष मामले में, जहां कार्यान्वयन समय एक वर्ष की सीमा को पार कर जाता है, स्वीकृति पत्र/आदेश में उसके लिए विशेष कारण शामिल किए जाएंगे। स्वीकृति पत्र/आदेश में राज्य सरकार की प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित समय में कार्य पूर्ण करने में असफल रहने पर कार्यान्वयन एजेंसी के विरूद्ध उचित कार्रवाई की शर्त भी शामिल की जाएगी। संबंधित संसद सदस्य को स्वीकृति पत्र/आदेश की प्रति भेजी जाएगी।

3.14 योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृतियों के संबंध में

निर्णय लेने का अधिकार जिला स्तर के अधिकारियों के पास होता है। इस योजना के अंतर्गत कार्यों के शीघ्र कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिए, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा जिले के अधिकारियों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए। जिला प्राधिकारियों को अंतिम प्रशासनिक स्वीकृति एवं अनुमोदन प्रदान करने से पूर्व सक्षम जिला अधिकारियों से कार्यों को तकनीकी रूप से अनुमोदित करवाने और वित्तीय प्राक्कलन तैयार करवाने का पूर्ण अधिकार होगा। कार्य स्वीकृत करने से पूर्व जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे कार्यों के लिए सक्षम प्राधिकारियों से सभी अनापत्तियां प्राप्त कर ली गई हैं और कार्य दिशानिर्देशों के अनुरूप है।

3.15 कार्य, एक बार संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित और जिला प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किए जाने के पश्चात् केवल संसद सदस्य की इच्छा से ही रद्द किया जा सकता है, बशर्ते कार्य का कार्यान्वयन शुरू नहीं हुआ है और उसे रद्द करने के परिणामस्वरूप सरकार पर किसी भी प्रकार की संविदात्मक वित्तीय देयता/लागत का भार नहीं पड़ता है। यदि किसी अनिवार्य कारण से, चालू कार्य को रोकना/स्थगित करना अपरिहार्य हो जाता है तो भारत सरकार एवं संबंधित संसद सदस्य को सूचना देते हुए मामले को पूर्ण औचित्य के साथ राज्य नोडल विभाग को भेज दिया जाना चाहिए।

ऐसे कार्यों में सांसद द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता, भले ही सांसद का पुनर्निर्वाचन हुआ हो। यह नोडल जिला प्राधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि वह सांसद के कार्यकाल की अंतिम तिथि के 75 दिनों के भीतर ऐसे सभी अनुशंसित कार्यों की जांच करें ताकि दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जा सके तथा अस्वीकृति, यदि कोई हो, की सूचना कारणों सहित 45 दिनों के भीतर निर्गामी/भूतपूर्व सांसद को दी जा सके।

इस खंड में कोई भी प्रावधान किसी उत्तरवर्ती सांसद को यह अनुमति नहीं देगा कि वह अपने पूर्ववर्ती सांसद द्वारा अनुशंसित किसी अन्यथा पात्र कार्यों को रद्द करें।

3.16 संसद सदस्य से कार्यों की अनुशंसा प्राप्त होने और जिला प्राधिकारी द्वारा कार्य स्वीकृति आदेश जारी किए जाने पर, जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वीकृत कार्यों का विवरण इनपुट फार्मेट (अनुबंध–IV क,ख,ग,घ और ड.) में दर्ज कर दिया गया है और एमपीलैड्स वेबसाइट www.mplads.nic.in में अप–लोड कर दिया गया है। पहले से ही क्रियान्वित किए जा चुके कार्यों अथवा क्रियान्वयनाधीन कार्यों के संबंध में भी यही प्रक्रिया अपेक्षित है और सभी प्रविष्टियां भी समयब) तरीके से की जाएगी। एमपीलैड्स के अंतर्गत कार्यों की निगरानी के लिए सॉफ्टवेयर मैनुअल वेबसाइट पर उपलब्ध है।

3.17 एमपीलैड योजना का विलयन अन्य केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं की विशेष/स्टैंड–अलोन परियोजनाओं के साथ किया जा सकता है बशर्ते केन्द्र/राज्य सरकारों की योजनाओं के ऐसे कार्य एमपीलैड्स के अंतर्गत पात्र हों। स्थानीय निकायों से प्राप्त निधियां भी इसी प्रकार एमपीलैड्स कार्यों के साथ एकीकृत की जा सकती हैं। जहां भी राशि ऐसे एकत्र की जाती है, वहां अन्य योजना स्रोतों से प्राप्त निधियों को पहले प्रयोग में लाया जाना चाहिए और एमपीलैड्स निधियों को बाद में जारी किया जाना चाहिए ताकि एमपीलैड्स निधियां परियोजना को पूरा करने के लिए उपयोग में लाई जाएं।

3.17.1 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का विलयन मनरेगा के साथ करने के लिए विशेष प्रावधान – सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) से निधियों को मनरेगा के साथ अधिक स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से मिलाया जा सकता है।

(विस्तृत प्रक्रिया अनुबंध–IIक में देखी जा सकती है)

3.17.2 संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) का विलयन खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम – अधिक स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) से निधियों को खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के साथ मिलाया जा सकता है।

(विस्तृत प्रक्रिया अनुबंध–IIक में देखी जा सकती है)

3.18 सांसद, कार्यान्वयन के भौगोलिक क्षेत्र और अनुशंसित राशि को दर्शाते हुए किसी केन्द्र प्रायोजित योजना में केन्द्रीय + राज्य हिस्सेदारी के संबंध में, अपनी एमपीलैड्स निधियों में से कुछ राशि के संवर्द्धन की अनुशंसा कर सकते हैं, किन्तु लाभार्थियों को दर्शाने की अनुमति उन्हें नहीं होगी जो जिला प्राधिकारी द्वारा पहले से ही तैयार की गई पूर्व सूची/प्राथमिकता सूची के अनुसार ही बने रहेंगे, तथा सांसद के अनुरोध पर सूची में बदलाव करना अपेक्षित नहीं होगा।

3.19 संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के संबंध में सार्वजनिक एवं सामुदायिक योगदान अनुमत्य हैं। ऐसे मामलों में, एमपीलैड्स निधियों को अनुमानित राशि तक सीमित रखा जाएगा और सार्वजनिक एवं सामुदायिक योगदान उसमें शामिल नहीं होंगे।

3.20 केन्द्र एवं राज्य सरकार की ऐसी योजनाएं हैं, जिनमें सार्वजनिक एवं सामुदायिक अंशदान का प्रावधान है। एमपीलैड्स निधियों का उपयोग केन्द्र/राज्य सरकार के किसी ऐसे कार्यक्रम/स्कीम में सार्वजनिक एवं सामुदायिक अंशदान के बदले नहीं किया जाएगा जिनमें ऐसे अंशदान का घटक शामिल है।

3.21 योजना के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों के लिए सामुदायिक अवसरंचना और जनोपयोगी भवन कार्य भी अनुमेय हैं बशर्ते सोसाइटी/न्यास समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगे हुए हों और **पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में हों**। सोसाइटी/न्यास के अस्तित्व की गणना उस तिथि से की जाएगी, जिस तिथि से उक्त क्षेत्र में उसकी गतिविधियां शुरू हुईं अथवा संगत पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत जिस तिथि को उसका पंजीकरण हुआ, जो भी बाद में हो। लाभार्थी सोसाइटी/न्यास एक सुस्थापित, लोकप्रिय, बिना लाभ के काम करने वाली इकाई होगी जिसे संबंधित क्षेत्र में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त हो। ऐसी सोसाइटी/न्यास मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसका निर्णय संबंधित जिला प्राधिकारी, बुनियादी संगत कारकों जैसे समाज सेवा के क्षेत्र में निष्पादन, कल्याण गतिविधियां, उसकी गतिविधियों का गैर–लाभ अर्जन की ओर रूझान, उसकी गतिविधियों में पारदर्शिता और सुदृढ़ वित्तीय स्थिति, के आधार पर करेगा।

3.21.1 भूमि का स्वामित्व सोसाइटी/न्यास के पास रह सकता है, लेकिन एमपीलैड्स निधियों से निर्मित

इमारत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार की ही संपत्ति होगी । एमपीलैड्स के अंतर्गत निर्मित परिसंपत्ति का प्रचालन, प्रबंध एवं रखरखाव सोसाइटी/न्यास को ही करना होगा। यदि किसी समय, यह ज्ञात होता है कि एमपीलैड्स निधियों से निर्मित परिसंपत्ति उस प्रयोजन, जिसके लिए परिसंपत्ति का वित्तपोषण किया गया था, के लिए प्रयोग में नहीं लाई जा रही है, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार परिसंपत्ति को अपने अधिकार में ले सकती है और परिसंपत्ति के निर्माण हेतु एमपीलैड्स से वहन की गई लागत की वसूली और स्वीकृत कार्य के लिए एमपीलैड्स निधि के उपयोग किए जाने की तारीख से गणना करते हुए प्रति वर्ष 18 प्रतिशत की दर से ब्याज भी ले सकती है। इस उद्देश्य से सोसाइटी/न्यास द्वारा, जिला प्राधिकारी के साथ सरकार के पक्ष में अग्रिम रूप से एक औपचारिक करार (अनुबंध–V पर एक नमूना करार दिया गया है) किया जाएगा। यह करार, 10 रूपए अथवा उससे अधिक के गैर–न्यायिक स्टाम्प पेपर पर, जैसा कि उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में लागू हो, संगत पंजीकरण अधिनियम के अधीन पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण के लिए किसी स्टाम्प शुल्क के भुगतान की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें परिसंपत्तियों का कोई औपचारिक हस्तांतरण नहीं होता है।

3.21.2 "किसी विशेष सोसाइटी/न्यास के एक अथवा उससे अधिक कार्यों के लिए, उस सोसाइटी/न्यास के जीवनकाल में, एमपीलैड्स निधियों से 50 लाख रूपए से अधिक व्यय नहीं किया जा सकता। यदि सोसाइटी ने एमपीलैड्स निधियों से 50 लाख रूपए की राशि पहले ही प्राप्त कर ली है, तो योजना के अंतर्गत सोसाइटी/न्यास के लिए और अधिक निधियों की अनुशंसा नहीं की जा सकती। वित्तीय वर्ष 2012–13 से, कोई सांसद सोसाइटियों/न्यासों से संबंधित कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों से एक वित्तीय वर्ष में कुल मिलाकर केवल 1 करोड़ रुपए तक की निधियों की ही अनुशंसा कर सकता है। वित्तीय वर्ष 2012–13 से पहले की अवधि के लिए माननीय सांसदों द्वारा की गई सिफारिश उस अवधि के दौरान लागू दिशानिर्देशों के अनुसार विनियमित की जानी अपेक्षित है।

3.21.3 किसी सोसाइटी/न्यास को एमपीलैड्स निधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि अनुशंसा करने वाला संसद सदस्य अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य, उस पंजीकृत सोसाइटी/न्यास का अध्यक्ष/सभापति अथवा प्रबंधन समिति का सदस्य अथवा न्यासी है। परिवार के सदस्यों में संसद सदस्य और संसद सदस्य की पत्नी अथवा पति, जिसमें उनके माता–पिता, भाई एवं बहन, बच्चे, पोते–पोतियां और उनके पति अथवा पत्नी और उनके ससुराल के लोग शामिल हैं। सांसद यह सुनिश्चित करेंगे कि न्यासों/सोसाइटियों के वृत्तीय अथवा पारस्परिक वित्तपोषण को टालते हुए दिशानिर्देशों की भावना का पालन किया जाए।

3.21.4 इसके अतिरिक्त, जब किसी सोसायटी/न्यास के संबंध में किसी संसद सदस्य द्वारा निधियों की अनुशंसा की जाती है तथा जिला प्राधिकारी स्वीकृति से पूर्व जांच हेतु स्पष्टीकरणों/ दस्तावेजों के लिए अनुरोध करते हैं, जैसा कि दिशानिर्देशों के तहत अपेक्षित है, उक्त सोसायटी/न्यास जिला प्रशासन से पत्र प्राप्त होने की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि के भीतर अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। यदि दस्तावेज तीन माह की अवधि के पश्चात् भी प्राप्त नहीं होते हैं, जिला प्रशासन एक माह के भीतर दो अनुस्मारक भेज सकता है। यदि अपेक्षित सूचना अभी भी प्राप्त नहीं होती है, जिला प्रशासन द्वारा सोसायटी/न्यास के संबंध में सांसद द्वारा की गई अनुशंसा को रद्द माना जाएगा तथा अनुशंसा करने वाले सांसद को इसकी सूचना भेज दी जाएगी।

3.21.5 सर्वाधिक वंचित वर्ग के लिए रियायती प्रावधानः अनाथ लोगों के लिए आवास गृह (अनाथालय/यतीमखना), वृद्ध/वयोवृद्ध लोगों के लिए लोकोपकारी आश्रम, विधवाओं के लिए लोकोपकारी आश्रम, कुष्ठ रोगियों के लिए लोकोपकारी आश्रम/कॉलोनी, दृष्टिहीनों के लिए लोकोपकारी आश्रम, स्पास्टिक/मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए लोकोपकारी आश्रम अथवा मूक एवं बधिर बच्चों के लिए लोकोपकारी आश्रम चलाने वाले न्यासों/सोसाइटियों को उनके पूरे कार्यकाल में एमपीलैड्स निधियों से 50 लाख रुपए तक की राशि पाने के प्रतिबंध में रियायत दे कर इसे 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस रियायती प्रावधान के अंतर्गत एमपीलैड्स से प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि को केवल उपर्युक्त आश्रमों/कॉलोनियों में और उपर्युक्त आश्रमों/कॉलोनियों के लिए (और न्यास/सोसाइटी के किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं) ही उपयोग में लाया जाएगा। और इन निधियों को केवल दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 में दिए गए प्रयोजनों के लिए ही उपयोग किया जाएगा।

3.21.6 वर्ष के दौरान एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने वाले सभी न्यासों/सोसाइटियों का एमपीलैड्स के अंतर्गत किए जाने वाले समस्त कार्यों की उन लेखापरीक्षकों द्वारा अनिवार्य रूप से शत–प्रतिशत लेखापरीक्षा की जाएगी जो जिलों में एमपीलैड्स निधियों की वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा करते हैं। साथ ही, एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देशों के अनुबंध–IX के अंतर्गत प्रदान किए गए ''लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र'' में इस बाबत एक प्रमाणपत्र भी शामिल किया जाएगा।

3.22 योजना के अंतर्गत जैसे ही कार्य पूरा होता है उसे आम जनता के उपयोग के लिए खोल दिया जाना चाहिए। लोगों की अधिक जानकारी के लिए, एमपीलैड्स के अंतर्गत सभी कार्यों के लिए एक पट्टिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए जिस पर "संसद ससदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना कार्य" खुदा होना चाहिए तथा कार्य की लागत, उसका आरंभ, समापन और उद्घाटन तिथि तथा परियोजना को प्रायोजित करने वाले संसद सदस्य का नाम दर्शाया जाना चाहिए। **पट्टिका का नमूना अनुबंध–XI में दिया गया है।**

3.23 जिला प्राधिकारी के कार्यालय में एमपीलैड्स निधियों से पूरे किए गए और जारी सभी कार्यों की सूची लगाई जानी चाहिए और आम जनता के सूचनार्थ वेबसाइट पर भी डाली जानी चाहिए। जनता की जानकारी के लिए पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा तहसील/निबत/उप–तहसील/ब्लॉक/ग्राम पंचायत कार्यालयों जैसे प्रमुख स्थानों में प्रदर्शित किया जा सकता है।

3.24 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में दिए गए प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार, सभी नागरिकों को एमपीलैड्स के किसी भी पक्ष और उसके अंतर्गत अनुशंसित/स्वीकृत/क्रियान्वित कार्यों के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। इसमें संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों, स्वीकृत/स्वीकृत नहीं किए गए कार्यों, स्वीकृत कार्यों की लागत, कार्यान्वयन एजेंसियों, पूरे किए गए कार्य की गुणवत्ता, उपयोगकर्ता एजेंसी इत्यादि के बारे में सूचना शामिल की जा सकती है। जिला प्राधिकारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत यथापेक्षित तरीके से सूचना उपलब्ध कराएं।

3.25 सांसद की सिफारिश पर जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा रोगी वाहन/शव वाहनों की खरीद की अनुमति दी गई है।

(विस्तृत प्रक्रिया अनुबंध–IIक में देखी जा सकती है।)

3.25.1 पशुओं को ले जाने तथा लाने के लिए वाहनः वन्य जीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं (बीमार/घायल अथवा अन्यथा) को ले जाने तथा लाने के निमित्त वाहनों की खरीद।

3.25.2: वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में संसद सदस्य की सिफारिश (पैरा 3.25.1) पर जिला प्राधिकारी द्वारा बीमार/घायल पशुओं के लिए भी एम्बुलेंसों की खरीद की अनुमति दी जाती है। इस कार्य क्षेत्र का विस्तार करते हुए अब जिले में बीमार/घायल पशुओं को ढोने के लिए एम्बुलेंसों की खरीद की अनुमति दी गई है।

(विस्तृत प्रक्रिया दिशानिर्देशों के अनुबंध–IIक में देखी जा सकती है)

3.26 परियोजना के लिए न्यूनतम राशिः ''किसी भी परियोजना अथवा कार्य के लिए एमपीलैड योजना के तहत स्वीकृत की गई न्यूनतम राशि आम तौर पर 1 लाख रूपए से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन, यदि जिला प्राधिकारी ने सोच–समझकर यह राय कायम की है कि इस राशि से कम का कार्य आम आदमी के लिए हितकर होगा, तो वह इस राशि की स्वीकृति दे सकता है, भले ही कार्य की लागत 1 लाख रूपए से कम हो।''

3.27 परियोजनाओं की सूचीः ''जिला प्राधिकारी सांसदों के लिए 'परियोजनाओं की सूची' जिसमें अ.जा./अ.ज.जा. के लिए परियोजनाएं भी शामिल होंगी, तैयार करेगा और सांसदों को उपलब्ध कराएगा। परियोजनाओं की सूची केवल सुझाव के तौर पर होगी, ताकि सांसदों को परियोजनाएं चुनने में सुविधा हो और वे लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सूची के अलावा भी परियोजनाएं चुन सकें। जिला प्राधिकारी पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों से सुझाव प्राप्त कर सकते हैं।'

3.28 विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोगः सांसद विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने के लिए अपने एमपीलैड्स कोष से हर वर्ष अधिकतम 10 लाख रुपए अथवा विकलांग व्यक्तियों को किसी समय वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रभावी उनकी शेष कार्य अवधि के लिए समेकित पात्र धनराशि की सिफारिश कर सकते हैं। इस प्रकार की सहायता पात्र विकलांग व्यक्तियों के लिए केवल तिपहिया साइकिलें (मैनुअल/बैटरी–संचालित/मोटरयुक्त), मोटरयुक्त/बैटरी–संचालित व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग खरीदने के लिए दी जाएगी।

एक माननीय संसद सदस्य द्वारा कृत्रिम अंग इत्यादि किसी एक व्यक्ति को प्रदान करने के लिए अनुदान दिया जा सकता है और यह कि अन्य माननीय संसद सदस्यों द्वारा तब उसी व्यक्ति को पुनः अनुदान प्रदान नहीं किया जा सकता। एमपीलैड्स के अंतर्गत माननीय संसद सदस्यों द्वारा किसी एक व्यक्ति को दिए जाने वाले अनुदान को मिलाया जाना अनुमत्य नहीं है।

(विस्तृत प्रक्रिया अनुबंध–IIक में देखी जा सकती है)

3.29 स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीदः केंद्र, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन निकायों के स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद हेतु एमपीलैड्स निधियों से 22 लाख रुपए तक की धनराशि दी जा सकती है।

इस खरीद हेतु उच्चतम सीमा का ब्यौरा अनुबंध–IIक में देखा जा सकता है।

3.30 **कम्प्यूटरों की खरीदः** सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के लिए कम्प्यूटरों की खरीद की अनुमति दी गई है।

(विस्तृत प्रक्रिया अनुबंध–IIक में देखी जा सकती है।)

3.30.1 **दृश्य डिसप्ले यूनिटों की खरीदः** सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए दृश्य डिसप्ले यूनिटों की खरीद/संस्थापना की अनुमति है।

3.31 **एमपीलैड्स निधियों से सचल पुस्तकालयों की खरीदः** केंद्र, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन निकाय के शिक्षण संस्थानों के लिए सचल पुस्तकालय की खरीद की अनुमति दी गई है। सचल पुस्तकालय के संचालन में होने वाले अन्य व्यय/आवर्ती व्यय उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा वहन किए जाएंगे।

3.32 **एमपीलैड योजना के तहत लगाए गए हैंड पंपों की जगह नए बोर पंप लगाना**– मौजूदा खराब हैंड पंपों की जगह नए बोर पंप लगाने की अनुमति दी गई है। खराब हैंड पंपों के पुनः उपयोग में लाए जा सकने वाले हिस्सों–पुरजों को भी नए बोर पंपों में काम में लाया जाएगा।

(जिन शर्तों पर नई बोरिंग लगाने की अनुमति दी गई है, उन्हें अनुबंध–IIक में देखा जा सकता है।)

3.33 **विशेष प्रावधान** – सीमा क्षेत्रों, समुद्रतटीय एवं अन्य पर्यावरणिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों (जैसे वन, वन्य जीवन, सीआरजेड, पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्र, आदि) में कार्यों के लिए संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों से समुचित अनुमति की आवश्यकता होगी।

3.33.1 अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 8 किलोमीटर के भीतर किसी भी नदी पर एमपीलैड योजना के तहत सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण आदि से संबंधित किसी कार्य की स्वीकृति से पहले जल संसाधन मंत्रालय से विशिष्ट मंजूरी लेना सदा अपेक्षित होगा।

3.34 प्रत्येक जिले में एक सुविधा केन्द्र की स्थापनाः संसद संदस्य नोडल जिले में एमपीलैड्स सुविधा केन्द्र की स्थापना हेतु पात्र होंगे, जिसके लिए स्थान/कक्ष, कलेक्ट्रेट/डीआरडीए परिसर में जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। उपस्कर, फर्नीचर आदि के साथ इन सुविधाओं की व्यवस्था कराने की पूंजीगत लागत 5 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी तथा इसे एमपीलैड्स निधियों से वहन किया जाएगा।

(विस्तृत कार्य एवं अन्य अनुदेश अनुबंध–IIक में देखे जा सकते हैं)

3.34.1 सुविधा केन्द्र का प्रमुख कार्य, माननीय सांसदों को सभी सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना होगा जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक है। यदि जिला एक से अधिक सांसद द्वारा चुना गया है तो सुविधा केन्द्र इन सभी सांसदों को सेवा मुहैया कराएगा। यह सुविधा केन्द्र जिला प्राधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करना चाहिए । डीआरडीए अथवा सीडीओ कार्यालय/सीईओ जिला पंचायत कार्यालय (जहां स्थान उपलब्ध कराया गया है) में मौजूद अधिकारी पर्यवेक्षण

करेंगे। यदि आवश्यक होगा तो एक डेटा एंट्री ऑपरेटर को 2% प्रशासनिक प्रभार से आउटसोर्स/संविदा के माध्यम से नियुक्त किया जा सकता है। यदि डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाती है तो यह नियुक्ति पूरी तरह से आकस्मिक (आउटसोर्स/संविदात्मक) प्रकृति की होनी चाहिएए यह नियुक्ति किसी भी पद पर नहीं होगी और इसे किसी भी रूप में सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। और यह कि नियुक्ति करने वाले जिला प्राधिकारी का यह देखना भी दायित्व होगा कि भविष्य में इन नियुक्तियों की प्रशासनिक अथवा वित्तीय किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) पर न हो।

3.35 **रेलवे हॉल्ट स्टेशन का निर्माणः** एमपीलैड योजना से निधियां, यदि सांसद द्वारा ऐसा मनोनीत किया गया है, रेलवे हॉल्ट स्टेशन के निर्माण हेतु प्रयोग में लाई जा सकती है ताकि स्थानीय समुदाय के लिए रेलगाड़ी में चढ़ना/उतरना सुकर हो सके।

(विस्तृत अनुदेश अनुबंध–IIक में देखे जा सकते हैं)

3.36 वन एमपी–वन आइडियाः नई खोज और विकास में आम आदमी सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के सहयोग का मार्ग अपनाने और स्थानीय समस्याओं के स्थायी और सुसाध्य समाधान हासिल करने के लिये, एक ऐसा अभियान चलाने की जरूरत है, जिसके जरिये चुनौतियां हल करने में समर्थ समाधान खोजे जा सकें। तदनुसार, विकासात्मक परियोजनाओं के बारे में स्थानीय लोगों से प्राप्त नए विचारों पर आधारित ''वन एमपी – वन आइडिया'' प्रतिस्पर्धा प्रत्येक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में हर वर्ष आयोजित की जा सकती है, ताकि सांसद के विशेष अनुरोध पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिये नगद पुरस्कारों के वास्ते तीन सर्वश्रेष्ठ नए समाधान चुने जा सकें।

ये पुरस्कार माननीय सांसदों के विशेष अनुरोध पर उनके निर्वाचन क्षेत्र में इस स्कीम को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किए जाएंगे। नोडल ज़िला प्राधिकारी निर्धारित प्रपत्र में आवेदन मंगाने के लिए समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न आदि प्रचार–प्रसार के विभिन्न माध्यमों के जरिए उद्घोषणा करवाएंगे। यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उद्घोषणा का ब्यौरा संबंधित वेबसाइट (वेबसाइट) पर भी अपलोड कर दिया गया है। इस प्रतिस्पर्धा के तहत शिक्षा और कौशल, स्वास्थ्य, जल और स्वच्छता, आवास और बुनियादी ढांचा, कृषि ऊर्जा, पर्यावरण, सामुदायिक तथा सामाजिक सेवाओं आदि के क्षेत्र में नए समाधान आमंत्रित कि, जाएंगे। निर्वाचन क्षेत्र का कोई व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का कोई समूह, उद्योग, उद्योग संगठन, शिक्षण संस्थान, गैर–सरकारी संगठन या अन्य संस्थान नए समाधान प्रस्तुत कर सकते है। आवेदन प्रस्तुत करने का प्रारूप अनुबंध–X में दिया गया है। सभी प्रविष्टियों के लिए जांच की प्रक्रिया एक जैसी होगी।

3.36.1 एक चयन समिति का गठन किया जायेगा जो सभी आवेदनों की जांच का कार्य करेगी। यह चयन समिति नोडल ज़िले के ज़िला कलेक्टर/ज़िला मज़िस्ट्रेट की अध्यक्षता में गठित की जाएगी और इसमें आठ सदस्य होंगे जो (i) अभियांत्रिकी (ii) वित्त (iii) स्वास्थ्य और स्वच्छता (iv) शिक्षा क्षेत्र (v) उद्योग (vi) बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थाओं से संबंधित होंगे तथा (vii) दो सदस्य सामाजिक क्षेत्र/गैर–सरकारी संगठनों से माननीय सांसद द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। अभियांत्रिकी, वित्त, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र के सदस्य जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मनोनीत किए जाएंगे तथा ये केंद्र/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सरकारों से संबंधित होने चाहिए। शिक्षा क्षेत्र, उद्योग एवं बैंक और वित्तीय संस्थाओं से

संबंधित सदस्य अपने–अपने क्षेत्र में विख्यात एवं विशिष्टता–प्राप्त होंगे तथा उन्हें जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मनोनीत किया जाएगा। चयन समिति नकद पुरस्कारों के लिए तीन सर्वश्रेष्ठ नए समाधान और प्रशंसा प्रमाणपत्र के लिए अगले पांच सर्वश्रेष्ठ नए समाधानों का चयन करेगी। यदि काफी बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैंए तो जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट, माननीय सांसद के परामर्श से, संभावित आवेदनों की आरंभिक जांच हेतु एक जांच समिति का गठन कर सकते हैं ताकि आगे इनका मूल्यांकन चयन समिति द्वारा किया जा सके।

3.36.2 प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार विजेताओं को क्रमशः 2.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए और 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। पुरस्कार राशि के अतिरिक्त, विज्ञापन जारी करने, बैठकें आयोजित करने, आदि सहित इन आयोजनों की व्यवस्था में होने वाले अन्य प्रशासनिक व्यय भी एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य होंगे, बशर्ते कि यह व्यय 5 लाख रुपए की कुल पुरस्कार राशि के 10% अर्थात् 50,000 रुपए से अधिक न हो। पुरस्कारों के लिए 5 लाख रुपए की राशि और प्रशासनिक व्यय के लिए 50,000 रुपए की कुल राशि एमपीलैड योजना से मुहैया करवाई जाएगी और इस स्कीम को प्रोत्साहित करने वाले सांसद की एमपीलैड्स निधि के नामे डाली जाएगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह योजना नवाचार की भावना और जमीनी स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करने में सक्षम हो तथा बड़ी संख्या में सभी वर्गों के लोगों को शामिल करते हुए देश में नवाचार आंदोलन को गति प्रदान करे, इस पुरस्कार वितरण समारोह का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए। माननीय सांसद एक सार्वजनिक समारोह में इन पुरस्कारों का वितरण करेंगे जिसे पर्याप्त मीडिया कवरेज दिया जायेगा। अनुबंध–Xक के अनुसार पुरस्कार विजेताओं को सम्मान प्रमाण–पत्र प्रदान किए जाएंगे। अनुबंध–Xख के अनुसार अगले 5 सर्वश्रेष्ठ नए समाधानों को प्रशंसा प्रमाण–पत्र भी दिए जाएंगे।

3.37 सहायता–प्राप्त शिक्षण संस्थाओं को सहायता प्रदान करनाः संसद सदस्य सहायता–प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों और स्कूलों के मामले में जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथा कॉलेजों के मामले में राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हों और छात्रों से व्यावसायिक शुल्क की वसूली नहीं कर रहे हों । इस प्रकार की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिशा–निर्देशों के अंतर्गत सभी **अनुमत्य** मदों के लिए **बिना किसी उच्चतम सीमा के** एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के **पात्र** हैं ।

3.37.1 **सहायता–प्राप्त** और **गैर–सहायता** प्राप्त शिक्षण संस्थान **जो** किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से **मान्यता प्राप्त** हैं **<u>और</u> न्यासों/सोसाइटियों** द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, दिशानिर्देशों के तहत **अनुमत्य** सभी मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं; संबंधित शिक्षण संस्थान का संचालन करने वाले न्यास/सोसाइटी विशेष पर दिशानिर्देशों **(पैरा 3.21)** के तहत न्यासों/सोसाइटियां पर लगाई गई अधिकतम सीमा की शर्त लागू होगी। [जोकि **एक न्यास/सोसाइटी विशेष** के लिए इसके **जीवन–काल** में **50 लाख रु.** है (यह भी कि एक माननीय सांसद एक वित्तीय वर्ष के दौरान **सभी** न्यासों/सोसाइटियों को मिलाकर केवल 1 करोड़ रुपए तक की सिफारिश कर सकता है),]

3.38 बार संघों को सहायता – सांसद तहसील/उप–मंडल/जिला स्तर पर बार संघ के भवन–निर्माण के प्रयोजनार्थ बार संघों के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए भूमि केन्द्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय स्वायत्त शासन की हो तथा यह एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के प्रावधानों के अध्यधीन हो। बार संघ के किसी आवर्ती व्यय के लिए कोई एमपीलैड्स निधि अनुमत्य नहीं होगी।

3.38.1 पुस्तकों की खरीद के लिए बार संघ पुस्तकालय को सहायताः उपर्युक्त पैरा 3.38 के प्रावधानों और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के अध्यधीन, सांसद निचली अदालतों एवं जिला न्यायालयों (तहसील/उप–मंडल/जिला स्तर के न्यायालय) के लिए 50,000/– रुपए (पचास हजार रुपए मात्र) प्रतिवर्ष तक की खरीद हेतु बार संघ पुस्तकालय के लिए एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं।

(विस्तृत प्रक्रिया एवं अनुदेश अनुबंध–IIक में देखे जा सकते हैं)

3.39 डीआरडीओ द्वारा विकसित बायो–डाइजेस्टर : डीआरडीओ द्वारा विकसित बायो–डाइजेस्टरों को रेलवे स्टेशन, रेलवे कोच, आंगनवाड़ी केंद्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों, बस–स्टैंड तथा केंद्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों तथा स्थानीय स्वायत्त निकायों की सामुदायिक सुविधाओं में संस्थापित किए जाने की अनुमति है।"

3.40 एमपीलैड योजना के अंतर्गत स्थिर स्केल तौल मशीन प्रदान करना : संसद सदस्य ग्राम स्तर पर कृषि संबंधी तथा बागवानी उत्पादों के लिए स्थिर स्केल तौल मशीनों के संस्थापन के लिए सिफारिश कर सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगीः–

i) तौल मशीन केन्द्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय स्वायत्त निकाय की भूमि पर संस्थापित की जाएगी;

ii) यह ग्राम पंचायतों के स्वामित्व में होगी तथा इसका परिचालन तथा अनुरक्षण ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाएगा;

iii) तौल मशीन का उपयोग पंचायत के सभी ग्रामीणों द्वारा किया जाएगा। कारखानों, फार्मों, दुकानों, अन्य वाणिज्यिक स्थापनाओं आदि जैसे सभी वाणिज्यिक संगठन तौल मशीन का उपयोग नहीं कर सकेंगे;

iv) तौल मशीन का उपयोग प्रभार मुक्त अथवा बिना लाभ–हानि के आधार पर किया जाएगा। यदि आवश्यक होगा तो मामूली प्रभार ही लिया जा सकता है जिसका उपयोग मशीन के रखरखाव के लिए किया जाएगा। इस परिसंपत्ति के जरिए कोई वाणिज्यिक लेनदेन/परिचालन नहीं किया जाएगा;

v) किसी आवर्ती व्यय की अनुमति नहीं होगी।

3.41 देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा सिस्टम उपलब्ध कराना: संसद सदस्य, जिला पुलिस/जिला प्रशासन/सरकारी सुरक्षा एजेंसियों के अनुरोध पर, देश में महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा निगरानी हेतु सीसीटीवी कैमरा सिस्टम संस्थापित करने के लिए एमपीलैड्स निधि की अनुशंसा कर सकते हैं जो निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगीः–

क) निगरानी/सीसीटीवी कैमरा सिस्टम केन्द्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार अथवा स्थानीय स्वशासन से संबंधित स्थानों पर स्थायी ढंग से संस्थापित किए जाएं;

ख) डीसी/डीएम की अध्यक्षता वाली एक समिति जिसमें जिला पुलिस/जिला प्रशासन/सरकारी सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि शामिल होंगे, उपस्कर का चयन कर सकती है जिसकी खरीद निर्धारित राज्य प्रक्रिया के अनुसार की जाएगी।

ग) एमपीलैड्स निधि से खरीदे गए उपस्करों का रखरखाव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा किया जाएगा तथा किसी आवर्ती व्यय की अनुमति नहीं होगी।''

3.42 सहकारी समितियां:

(i) सहकारी समितियां एमपीलैड्स के अंतर्गत पंजीकृत न्यासों/सोसाइटियों के समकक्ष सहायता के लिए पात्र होंगी।

(ii) पिछले तीन वर्षों से अस्तित्व में होनी चाहिए तथा जिला प्राधिकारी के विचार में, निष्पादन एवं रिकॉर्डों इत्यादि के एक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन के आधार पर, सुप्रतिष्ठित तथा समुदाय/सार्वजनिक कल्याण के प्रति समर्पित होनी चाहिए।

(iii) सहायता केवल सामुदायिक अवसंरचना तथा जनोपयोगी निर्माण कार्यों के लिए ही होगी (पैरा 3.21 के अंतर्गत न्यासों/सोसाइटियों के लिए जो अनुमेय है)।

(iv) एमपीलैड्स निधियों से निर्मित अवसंरचना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की संपत्ति होगी। (दिशा–निर्देशों का पैरा 3.21.1 में यथावश्यक परिवर्तन सहित प्रयोज्य।

(v) न्यासों/सोसाइटियों को सहायता के लिए अधिकतम सीमा (अपने जीवन काल में 50 लाख रुपए तक एक विशेष न्यास/सोसाइटी को तथा एक संसद सदस्य द्वारा एक वर्ष में सभी न्यासों/सोसाइटियों को एक करोड़ रुपए तक) लागू होगी (दिशा–निर्देशों का पैरा 3.21.2 में आवश्यक परिवर्तन सहित प्रयोज्य)।

(vi) सिफारिश करने वाला संसद सदस्य अथवा उसके परिवार का कोई भी सदस्य सहकारी समिति के कार्यालय का सहायक अथवा सदस्य अथवा संरक्षक नहीं होना चाहिए। संसद सदस्यों द्वारा पारस्परिक निधि पोषण अनुमत नहीं होगा (दिशा–निर्देशों का पैरा 3.21.3 यथा आवश्यक परिवर्तन के साथ लागू होगा।

(vii) कार्य (अवसंरचना तथा जनोपयोगी भवन) की प्रकृति पूर्ण रूप से गैर व्यवसायिक हो।

(viii) कार्य समुदायक अथवा जनहित में हो। वैयक्तिक अथवा पारिवारिक लाभ अनुमत नहीं होंगे (अनुबंध–II का मद 11)

(ix) एमपीलैड्स निधियों का उपयोग जनोपयोगी तथा सामुदायिक अंशदान के बदले नहीं किया जाएगा। (दिशा–निर्देशों का पैरा 3.20 लागू होगा)।

(x) कार्य उत्पादक प्रयोग के लिए होना चाहिए। उनका अनुरक्षण और प्रचालन लागत का दायित्व प्राप्तकर्ता सहकारी समिति का होगा।

(xi) सहकारी समितियों के कार्यालय तथा रिहायशी भवन के प्रयोग की अनुमति नहीं होगी। (अर्थात अनुबंध–II की अवशिष्ट मद 2 सहकारी समिति पर लागू होगी।

3.43 वर्षा जल संचयन प्रणालियों की स्थापनाः सरकारी भवनों तथा केंद्र, राज्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन से संबंधित स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, सामुदायिक भवनों, जल निकायों इत्यादि जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा–जल संचयन प्रणालियों (जल संग्रह तथा भू–जल रिचार्जिंग दोनों के लिए) की संस्थापना करना एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुमत्य होगा ।

4. निधि जारी करना और उसका प्रबंधन

4.1 भारत सरकार द्वारा 5 करोड़ रुपए की वार्षिक पात्रता 2.5–2.5 करोड़ रुपए की दो समान किस्तों में सीधे संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिले के जिला प्राधिकारी को जारी की जाएगी।

4.2 लोक सभा के गठन, और राज्य सभा सदस्य के निर्वाचन के समय, 2.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त नीचे दिए गए पैरा 4.3 के अंतर्गत निर्धारित दस्तावेजों के बिना जिला प्राधिकारी को जारी कर दी जाएगी। राज्य सभा एवं लोक सभा के पदासीन सदस्यों को उसके बाद की किस्तें पैरा 4.3 में इंगित पात्रता मानदंडों के अनुसार जारी की जाएंगी।

4.3 लोक सभा के गठन अथवा राज्य सभा सदस्य के निर्वाचन के समय 2.5 करोड़ रुपए की पहली किस्त वित्त वर्ष के प्रारंभ में जारी की जाएगी।

शेष वर्षों में, वित्तीय वर्ष के आरंभ में पहली किस्त इस शर्त के अध्यधीन जारी की जाएगी कि पिछले वर्ष की दूसरी किस्त संबंधित सांसद को जारी की जा चुकी हो तथा यह इसके भी अध्यधीन होगा कि पिछले वर्ष का एक अनंतिम उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो जिसमें पिछले वर्ष की पहली किस्त का कम से कम 80 प्रतिशत व्यय शामिल हो।

एमपीलैड्स निधियों की दूसरी किस्त निम्नलिखित पात्रता मानदंडों की पूर्ति के अध्यधीन जारी की जाएगीः–

(i) सभी स्वीकृत कार्यों की लागत को ध्यान में रखते हुए जिला प्राधिकारी के खाते में उपलब्ध अस्वीकृत शेष राशि 1 करोड़ रुपए से कम हो;

(ii) संबंधित संसद सदस्य का अव्ययित शेष 2.5 करोड़ रुपए से कम हो; और

(iii) पिछले वित्तीय वर्ष का उपयोग प्रमाणपत्र और 31 मार्च को समाप्त होने वाले पिछले वर्ष का अंतिम लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र (क्रमशः दिशानिर्देशों के अनुबंध–VIII एवं IX में दिए गए फॉर्मेट में) जिला प्राधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जा चुका हो।

उपर्युक्त अनुबंधों की गणना पृथक रूप से प्रत्येक वर्तमान और पूर्व सांसद के लिए कार्यकाल–वार मासिक प्रगति रिपोर्ट से की जाएगी। मासिक प्रगति रिपोर्ट जिला प्राधिकारी द्वारा अनुबंध–VI में दिए गए फॉर्मेट में भेजी जानी चाहिए।

4.4 **अव्यपगत निधियां** : भारत सरकार द्वारा जिला प्राधिकारी को जारी की गई निधियां अव्यपगत होती हैं। जिले के पास शेष निधियों को अनुवर्ती वर्षों में उपयोग हेतु अग्रेनीत किया जा सकता है। आगे, वे निधियां जो भारत सरकार द्वारा एक वर्ष में जारी न की गई हों, अनुवर्ती वर्षों में जारी किए जाने के लिए अग्रेनीत की जाएंगी, बशर्ते पैरा 4.3 में निर्धारित मानदंडों को पूरा किया जाए।

4.5 किसी विशेष वर्ष में, संसद सदस्य की निधियों की पात्रता का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है:–

वित्तीय वर्ष में संसद सदस्य के रूप में अवधि	पात्रता
3 माह से कम	शून्य
9 माह तक	वार्षिक आबंटन का 50%
9 माह से अधिक	वार्षिक आबंटन का 100%

राज्य सभा/लोक सभा सांसदों को निधियां ऊपर पैरा 4.3 में बताए गए पात्रता मानदंडों के अनुसार जारी की जाएंगी। तथापि, किसी सांसद की अचानक मृत्यु अथवा त्यागपत्र की स्थिति में, वे कार्य जो मूल पात्रता के अनुसार विधिवत अनुशंसित एवं विधिवत स्वीकृत किए गए थे और जिनमें उपर्युक्त आकस्मिकता की आशा नहीं की गई थी, उन्हें पूरा किया जाना अपेक्षित होगा (सरकारी निधियों की बर्बादी को टालने के लिए) व मृत्यु/त्यागपत्र के कारण ऊपर उल्लिखित किसी न्यूनीकृत पात्रता का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा तथा नए आगंता सांसद की पूर्ण पात्रता उपर्युक्त फार्मूले के अनुसार नए सिरे से आरम्भ होगी।

4.6 यदि एक लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है, तो उस निर्वाचन क्षेत्र की निधियां चयनित नोडल जिला प्राधिकारी को जारी की जाएंगी, जो निर्वाचन क्षेत्र के भीतर अन्य जिलों में, उन जिलों की आवश्यकतानुसार निधियों के अंतरण हेतु उत्तरदायी होगा।

4.7 लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में, लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पूर्ववर्ती संसद सदस्य द्वारा छोडी गई एमपीलैड्स निधियों की शेष राशि (वे निधियां जो पूर्ववर्ती सांसद के कार्यों के लिए न हों) उस निर्वाचन क्षेत्र के उत्तरवर्ती संसद सदस्य को सौंप दी जाएगी। (नवीन परिसीमन के मामले में, पृथक आदेश जारी किए जाएंगे)।

4.8 राज्य सभा के निर्वाचित सदस्यों के संबंध में, किसी विशेष राज्य में पूर्ववर्ती सदस्य द्वारा नोडल जिले में छोडी गई निधियों की शेष राशि (वे निधियां जो अनुशंसित कार्यों के लिए नहीं हैं), सदस्य द्वारा कार्यालय छोड़ने के पश्चात् उस राज्य के उत्तरवर्ती निर्वाचित राज्य सभा सदस्यों के बीच राज्य सरकार द्वारा समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। पूर्व में निर्वाचित राज्य सभा सांसदों की अव्ययित शेष राशि भी, यदि पहले वितरित न की गई हो, राज्य सरकार द्वारा संबंधित राज्यों के वर्तमान राज्य सभा सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित कर दी जाएगी।

4.9 नोडल जिले में राज्य सभा के मनोनीत सदस्यों द्वारा छोड़ी गई निधियों की शेष राशि (वे निधियां जो अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों के लिए नहीं हैं) भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा राज्य सभा के उत्तरवर्ती मनोनीत सदस्यों के बीच समान रूप से वितरित कर दी जाएगी।

4.10 लोक सभा के मनोनीत आंग्ल–भारतीय सांसदों द्वारा छोड़ी गई निधियों की शेष राशि (वे निधियां जो अनुशंसित और स्वीकृत कार्यों के लिए नहीं हैं) भारत सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार द्वारा लोक सभा के उत्तरवर्ती मनोनीत आंग्ल–भारतीय सांसदों के बीच समान रूप से वितरित कर दी जाएगी।

4.10.1 कार्यों को संपन्न करना/खातों को समायोजित करना– एमपीलैड्स का कार्य राज्य सभा सांसदों के मामले में कार्यालय छोड़ने की तारीख से अथवा लोक सभा के विघटन की तिथि से 18 माह के भीतर पूरा किया जाएगा। जिला प्राधिकारी अन्य सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् अगले तीन माह की अवधि में संबंधित सांसद के खाते को समायोजित करेंगे और उसे बंद कर देंगे तथा इसकी सूचना भारत सरकार को देंगे और मासिक प्रगति रिपोर्ट (एमपीआर) में इसकी विस्तृत जानकारी देंगे। **यदि जिला प्राधिकारी सांसद द्वारा कार्यभार त्यागने अथवा लोक सभा भंग होने की तारीख से 18 माह के भीतर परियोजनाओं को पूरा नहीं करता है, तो जिला प्राधिकारी से शेष कार्य को राज्य/जिले की निधि से पूरा करने की अपेक्षा की जाएगी। किसी भी स्थिति में, समय सीमा को बढ़ाया नहीं जाएगा और इस संबंध में हुई किसी भी प्रकार की चूक के लिए जिला प्राधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाएगा।''**

4.11 भारत सरकार द्वारा जारी न की गई निधि के संबंध में, मामले के अनुसार, खंड 4.7 से 4.10 में निर्धारित पैटर्न का अनुसरण किया जाएगा तथा निधि भारत सरकार द्वारा जारी की जाएगी।

4.12 सामान्यतः किसी निर्वाचित/मनोनीत संसद सदस्य द्वारा त्याग पत्र दिए जाने, उनकी मृत्यु, आदि के कारण समय से पहले खाली हुई रिक्ति को, उस संसद सदस्य के शेष कार्यकाल हेतु निर्वाचन/नामांकन द्वारा भरा जाता है। ऐसे मामलों में दोनों संसद सदस्यों का कुल कार्यकाल क्रमशः लोक सभा और राज्य सभा की अवधि तक रहेगा। अतः नये संसद सदस्य सीट को समय से पहले रिक्त करने वाले संसद सदस्य के उत्तरवर्ती माने जाएंगे और शेष निधि अन्य संसद सदस्यों के बीच वितरित नहीं की जाएगी बल्कि उत्तरवर्ती संसद सदस्य के एमपीलैड्स खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

4.13 जिला प्राधिकारी, निधियों की प्रत्यक्ष उपलब्धता के बिना भी, सांसद की उस वर्ष की पात्रता की सीमा तक कार्यों की स्वीकृति दे सकता है। सरकार उपर्युक्त पैरा 4.2, 4.3 और 4.5 में निर्धारित पात्रता मानदंडों के अनुसार निधियां जारी करेगी।

4.14 जिला प्राधिकारी एमपीलैड योजना के प्रयोजनार्थ प्रत्येक सांसद के लिए राष्ट्रीकृत बैंक में एक अलग बैंक खाता मेनटेन करेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अनुमोदन के बिना बैंक खाते में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अनुबंध–XII में दिए गए प्रारूप के अनुसार निधियों को जारी करने के लिए बैंक खाते के ब्यौरे की सूचना सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को दी जाएगी। प्रत्येक माह अनुबंध–VI के अनुसार प्रत्येक सांसद (वर्तमान एवं भूतपूर्व) के लिए वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति (अर्थात् एमपीआर) अलग–अलग, जिला प्राधिकारियों को भेजी जाएगी जिसमें बैंक खाते में नोडल प्राधिकारी के पास उपलब्ध शेष निधियां भी दर्शाई जाएंगी।

4.14.1 कार्यान्वयन एजेंसियां भी निधियों को केवल किसी राष्ट्रीयकृत बैंकों में ही जमा करवाएंगी। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक सांसद के लिए एक अलग खाता खोला जाएगा।

4.15 कार्यान्वयन एजेंसियों को निधियां जारी करनाः जिला प्राधिकारी इस प्रयोजन के लिए लागू राज्य सरकार के नियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन करने वाली एजेंसियों को निधियां जारी करेंगे।

4.16 इस योजना के तहत जिला प्राधिकारी को जारी निधियों पर अर्जित ब्याज का उपयोग, संबंधित सांसद द्वारा अनुशंसित अनुमेय कार्यों के लिए किया जाना अपेक्षित है। इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी निधियों पर अर्जित ब्याज की गणना, प्रत्येक कार्य के लिए बचत की गणना के समय की जाएगी। प्रत्येक कार्य के संबंध में की गई बचत, कार्य पूर्ण होने के 30 दिनों के भीतर जिला प्राधिकारी को लौटा दी जाएगी।

4.17 **प्रशासनिक व्यय** – एमपीलैड्स निधि की वार्षिक पात्रता की 0.5% की मौजूदा आकस्मिक निधि को प्रशासनिक व्यय के रूप में 2% तक बढ़ा दिया गया है। प्रशासनिक निधि का 2% सांसद की 5 करोड़ रुपए की वार्षिक पात्रता का हिस्सा होगा तथा इसे नोडल जिले, कार्यान्वयन जिले (जिलों) और राज्य नोडल विभाग के बीच वितरित किया जाएगा तथा यह वित्त वर्ष 2011–12 से लागू है।

(I) प्रशासनिक व्यय जो एमपीलैड निधियों का 2% है, निम्नलिखित प्रकार से वितरित किया जाएगाः–

एमपीलैड्स निधियों की प्रत्येक किस्त प्राप्त होने पर, नोडल जिला प्राधिकारी राशि का 0.2 प्रतिशत तत्काल राज्य/संघ राज्यक्षेत्र नोडल विभाग के लिए आवंटित और प्रेषित करेगा ताकि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र नोडल विभाग इस राशि का उपयोग कर सकें। शेष राशि नोडल जिले में रखी जाएगी जिसे नीचे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उपयोग किया जाएगाः

नोडल जिला, कार्यान्वयन जिले को किसी अनुशंसा की सूचना देने के पश्चात्, अनुशंसित राशि का 1 प्रतिशत अंतरित करेगा तथा यह संबंधित कार्यान्वयन जिले के प्रशासनिक व्ययों के अतिरिक्त होगा। शेष राशि नोडल जिले द्वारा अपने स्वयं के प्रशासनिक व्ययों के लिए रखी जाएगी जैसा कि उपखंड (II) में विवरण दिया गया है।

(II) नोडल विभागों, नोडल जिलों और कार्यान्वयन जिलों द्वारा प्रशासनिक व्ययों का उपयोग निम्नानुसार किया जाएगाः

(क) नोडल विभाग इस राशि का उपयोग अपने प्रशासनिक व्ययों तथा निम्नलिखित कार्य–कलापों के लिए कर सकता हैः

(1) तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण–वास्तविक लेखा परीक्षा तथा गुणवत्ता जांच, तथा

(2) राज्य स्तर पर कार्यों की निगरानी।

(3) हिन्दी को छोड़कर, संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में एमपीलैड्स दिशानिर्देशों का अनुवाद एवं मुद्रण (हिंदी रूपांतर भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा)।

(4) आंकड़ा प्रविष्टि संबंधी कार्य करने, वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने, इत्यादि के लिए सेवाओं/परामर्शकों को किराए पर लेना,

(5) जनता के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों की सूचना का प्रसार करना,

(6) स्टेशनरी की खरीद,

(7) एमपीलैड्स योजना/मॉनीटरिंग के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर (लैपटॉप को छोड़कर)

(8) टेलीफोन/फैक्स शुल्क, डाक शुल्क,

(9) एमपीलैड्स कार्य निगरानी सॉफ्टवेयर और अन्य एमपीलैड्स पोर्टलों को कार्यशील बनाने के लिए किए गए व्यय

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नोडल विभाग अपने राज्य में एमपीलैड्स कार्यों का तीसरे पक्ष द्वारा निरीक्षण–वास्तविक लेखापरीक्षा तथा गुणवत्ता जांच निम्नलिखित ढंग से करवाएगाः

प्रत्येक जिले में, निम्नलिखित मानदंड के अनुसार निरीक्षण एवं वास्तविक लेखापरीक्षा हेतु एमपीलैड्स कार्यों का चयन किया जाएगाः–

(i) 25 लाख रुपए और उससे अधिक लागत वाले सभी कार्य अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएंगे।

(ii) 15 से 25 लाख रुपए की लागत वाले सभी कार्यों का 50 प्रतिशत अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए। शेष कार्यों के लिए, कम–से–कम 50 कार्यों का एक प्रतिदर्श तैयार किया जाएगा जिसमें विभिन्न मानकों, जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लागत, कार्य, सांसद–वार कार्य तथा सोसाइटियों और न्यास के कार्य, का विवेकसम्मत संतुलन शामिल किया गया हो। नोडल विभाग योजना के दिशानिर्देशों के संदर्भ में जिला प्राधिकारियों के अनुपालन की निगरानी भी करेगा।

(iii) विभिन्न राज्य सरकारों के नोडल विभागों ने एमपीलैड्स के तहत पीओएल की अनुमति प्रदान करने का भी विचार व्यक्त किया है जिससे प्रभावी निरीक्षण किए जा सकें । इस मुद्दे की जांच भी की जा चुकी है तथा नोडल जिलों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नोडल विभागों, दोनों को प्रशासनिक व्ययों में से प्रतिवर्ष 50,000/– रुपए (पचास हजार रुपए मात्र) तक, और उससे अधिक नहीं, पीओएल की अनुमिति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रभावी रूप से निरीक्षण किए जा सकें।

मंत्रालय में सांसदों से प्राप्त सभी शिकायतों की जांच करना तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजना भी अपेक्षित होगा।

(ख) निम्नलिखित कार्य–कलापों का निष्पादन करने के लिए नोडल जिले द्वारा,

(i) लेखों, आंकड़ा प्रविष्टि, वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड करने इत्यादि के लिए सेवाओं/परामर्शकों को किराए पर लेना,

(ii) जनता के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों की सूचना का प्रसार करना,

(iii) स्टेशनरी की खरीद,

(iv) एमपीलैड्स योजना/मॉनीटरिंग के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर (लैपटॉप को छोड़कर) सहित कार्यालयीन उपकरण,

(v) टेलीफोन/फैक्स शुल्क, डाक शुल्क,

(vi) किए गए व्यय (क) एमपीलैड्स कार्य निगरानी सॉफ्टवेयर और अन्य एमपीलैड्स पोर्टलों को कार्यशील बनाने के लिए, (ख) लेखों की लेखा–परीक्षा कराने तथा लेखा–परीक्षा प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के लिए, तथा

(vii) विशिष्ट मामलों में तकनीकी अनुमानों की आउटसोर्सिंग (यदि आवश्यक हो)।

(ग) निम्नलिखित कार्य–कलापों का निष्पादन करने के लिए कार्यान्वयन जिलों द्वारा,

(i) जनता के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना तथा चल रहे और पूरे हो चुके कार्यों की सूचना का प्रसार करना,

(ii) स्टेशनरी की खरीद,

(iii) एमपीलैड्स योजना/मॉनीटरिंग के लिए कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर (लैपटॉप को छोड़कर) सहित कार्यालयीन उपकरण,

(iv) टेलीफोन/फैक्स शुल्क, डाक शुल्क,

(v) लेखों के रख–रखाव और कार्यों की निगरानी के लिए सेवाओं/परामर्शकों को किराए पर रखना, एवं

(vi) विशिष्ट मामलों में तकनीकी अनुमानों की आउटसोर्सिंग (यदि आवश्यक हो)।

(III) प्रशासनिक निधियों के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में एक अलग बैंक खाता खोला जाएगा तथा वर्ष के दौरान किए गए प्रशासनिक व्ययों के लिए एक अलग कैश बुक का रख–रखाव राज्य स्तर पर नोडल विभाग द्वारा, नोडल जिले और कार्यान्वयन जिले के द्वारा भी किया जाएगा।

उपयोग प्रमाणपत्र के उद्देश्य से, नोडल जिले द्वारा एक बार जो प्रशासनिक व्यय वितरित कर दिए गए हैं, उन्हें खर्च किया गया माना जाएगा तथा इन व्ययों के लिए पृथग उपयोग प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4.17.1 सेंटेज प्रभार, आदिः प्रशासनिक व्ययों, जैसा कि पैरा 4.17 में प्रावधान किया गया है, को शामिल न करते हुए नोडल विभाग, जिला प्राधिकारी अथवा कार्यान्वयन एजेंसी एमपीलैड्स के तहत प्रारंभिक कार्यों सहित कार्यों के कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में किसी व्यय जैसे, पर्यवेक्षण प्रभार, सेंटेज प्रभार, कार्मिकों का वेतन, यात्रा व्यय आदि की मांग नहीं करेगी।

5. लेखांकन प्रक्रिया

5.1 जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरण एमपलैड्स निधि का संसद सदस्य–वार लेखा रखेंगे। लेखा बही तथा खातों की अन्य बहियों का रखरखाव राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा। भारत सरकार से जिला प्राधिकारियों को प्राप्त तथा जिला प्राधिकारी से कार्यान्वयन अभिकरणों को प्राप्त एमपीलैड्स निधि को केवल राष्ट्रीयकृत बैंकों के बचत बैंक खातों में रखा जाएगा। आईडीबीआई को राष्ट्रीयकृत बैंकों के समतुल्य माना जाएगा। बैंक शाखा का चयन इस संबंध में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसार जिला प्राधिकारी द्वारा अथवा (यदि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के दिशानिर्देश उपलब्ध नहीं हैं) प्रशासनिक अपेक्षा/व्यवहार्यता के अनुसार किया जाएगा। प्रत्येक संसद सदस्य के लिए केवल एक खाता रखा जाएगा। जिला प्राधिकारी तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा एमपीलैड्स निधि को राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के सरकारी कोष में जमा कराना निषिद्ध है।

5.2 जिला प्राधिकारी, जिले और निर्वाचन क्षेत्र में किए गए सभी एमपीलैड्स कार्यों के संबंध में, जिनके लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त की गईं, क्रियान्वित कार्यों की भिन्न–भिन्न शीर्ष वार सूची (शीर्ष और कार्यों का कोड अनुबंध–IVङ में देखा जा सकता है) भी एक परिसंपत्ति रजिस्टर में रखेंगे।

5.3 कार्य के पूरा होने पर, कार्यान्वयन अभिकरण तत्काल उस कार्य के खातों का निपटान करेंगे और एक कार्य समापन रिपोर्ट और उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे और अप्रयुक्त शेष (बचत) और ब्याज की राशि को 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला प्राधिकारी को वापिस करेंगे। कार्य समापन रिपोर्ट का नमूना अनुबंध–VII पर है। जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरण, बिना विलंब किए उपयोगकर्ता अभिकरण को परिसंपत्तियों के हस्तांतरण का प्रबंध करेंगे। उपयोगकर्ता अभिकरण द्वारा, सामान्य प्रचालन और रखरखाव के लिए उन्हें अपनी बहियों में रखेंगे।

उपयोग एवं लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र

5.4 जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरण समुचित रूप से एमपीलैड्स खातों का रखरखाव करेंगे। जिला प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष दिशा निर्देशों में निर्धारित (अनुबंध–VIII) प्रपत्र में राज्य सरकार और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगें। इन लेखा और उपयोगिता प्रमाणपत्रों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों की प्रक्रिया के अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा लोकल फंड ऑडिटर्स अथवा किसी सांविधिक ऑडिटर्स द्वारा लेखा परीक्षा की जाएगी। ये लेखा परीक्षक, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा प्रत्येक जिला प्राधिकारी के संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के महालेखाकार की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त किए जाएंगे। जिला प्राधिकारी प्रत्येक वर्ष लेखा परीक्षित लेखा, रिपोर्ट और प्रमाणपत्र राज्य सरकार और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजेंगे। जिला प्राधिकारी और कार्यकारी अभिकरणों के लेखों की लेखा परीक्षा के लिए स्कीम के अंतर्गत सामान्य लेखा परीक्षा पद्धति अपनाई जाएगी। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक टेस्ट ऑडिट करेंगे और जिला प्राधिकारियों, राज्य सरकार और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजेंगे।

5.5 लेखा परीक्षा रिपोर्ट संसद सदस्यवार तैयार की जानी चाहिए और जिसके साथ निम्नलिखित पहलुओं का समावेश भी किया जाना चाहिये (i) जिला प्रशासन और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा रखे जा रहे बचत/अन्य बैंक खातों की संख्या; (ii) यदि सावधि जमा में कोई राशि रूकी पड़ी हो (सावधि जमा अनुमेय नहीं है); (iii) क्या बचत खातों पर अर्जित ब्याज को प्राप्ति के रूप में लिया गया है और कार्य के लिए उसका उपयोग किया गया है; (iv) बिल प्राप्तकर्ता बैंक द्वारा जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरणों के खातों में जमा करने में विलंब, यदि कोई हो तो विलंब की अवधि; (v) क्या बैंक द्वारा प्रत्येक माह कैश बुक बैलेंस और पास बुक बैलेंस के संबंध में समाधान किया जा रहा है; (vi) बैंक समाधान में अर्जित ब्याज का भी समावेश होना चाहिए। बैंक समाधान विवरणी 31 मार्च तक लेखा परीक्षा रिपोर्ट में जोड़ दी जानी चाहिए; (vii) जिला प्राधिकारी और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा कैश बुक का समुचित रखरखाव; (viii) बैंक समाधान के अनुसार 31 मार्च को चैकों का जारी किया जाना लेकिन उनको भुनाया जाना नहीं; (ix) कार्यान्वयन अभिकरणों को दिए गए अग्रिमों में से किया गया वास्तविक व्यय और उनके साथ अंत शेष (क्लोजिंग बैलेंस); (x) निधियों को दूसरे कार्यों में लगाना, प्रतिबंधित कार्य और खर्च की गैर–अनुमेय मदें (प्रत्येक मामले में विवरण सहित जिला प्राधिकारी के विचार लेखा–परीक्षा की आपत्तियों के समाधान तथा उत्तरवर्ती वर्ष में अनुवर्ती लेखा–परीक्षा हेतु जिला प्राधिकारी के लिए लेखा–परीक्षा रिपोर्ट का भाग होंगे); और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए निर्धारित निधि का उपयोग; (xi) अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लिए अलग से चिन्हित निधियों का उपयोग।

5.6 सनदी लेखाकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए दिए गए लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र को प्रत्येक लेखापरीक्षा आपत्तियों के उत्तरों के साथ जिला प्राधिकारी द्वारा उस वर्ष के 30 सितंबर को या उससे पहले प्रस्तुत किया जाएगा। सभी लेखा परीक्षा आपत्तियों को उसी समय निपटाने की जिम्मेवारी जिला प्राधिकारी की होगी। कार्यान्वयन अभिकरणों को कार्य समापन रिपोर्ट और संबंधित निधि के उपयोग की रिपोर्ट जिला प्राधिकारी को प्रस्तुत करनी होगी। चाटर्ड एकाउंटेंट को ऐसी सभी रिपोर्टों और रिकार्डों की लेखा परीक्षा करनी होगी और इन दिशा–निर्देशों में दिए गए नमूना लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र (अनुबंध–IX) में अपना प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। लेखा परीक्षा फीस का भुगतान पैरा 4.17 की मद II ख (vi) के अनुसार आकस्मिक व्यय के अंतर्गत किया जाएगा।

5.7 राज्य सभा के चयनित एवं नामित पूर्व सदस्य और लोक सभा के नामित सदस्य ऐसे भी हैं जिन्होंने एमपीलैड्स के अंतर्गत कार्यों की अनुशंसा की थी जिन्हें अभी पूरा किया जाना है जिनके लिए जिला प्राधिकारियों को मासिक प्रगति रिपोर्ट सहित (अनुबंध-VI) कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग एवं लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने हैं।

5.8 वर्ष 1993–94 से जिला प्राधिकारियों द्वारा एमपीलैड्स निधियों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। उन्हें आवधिक रूप से कार्य समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने होते हैं। इन प्रमाणपत्रों के कार्य के प्रारंभ से ही सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को प्रस्तुत करना होता है।

6. निगरानी

6.1 हटा दिया गया।

6.2 केन्द्र सरकार की भूमिका

(i) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई निधियों, स्वीकृत कार्यों की लागत, व्यय की गई निधियों इत्यादि की समग्र स्थिति का प्रबोधन करेगा।

(ii) मंत्रालय, जिला प्राधिकारियों से प्राप्त समापन रिपोर्ट, उपयोग प्रमाणपत्र और लेखा परीक्षा प्रमाणपत्र का प्रबोधन करेगा।

(iii) मंत्रालय, एमपीलैड्स के कार्यान्वयन पर वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा।

(iv) मंत्रालय, एमपीलैड्स के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए, एक वर्ष में एक बार राज्यों और साथ ही केन्द्र में बैठकों का आयोजन करेगा।

(v) मंत्रालय, एमपीलैड्स पर जिला अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगा, और जब भी इन्हें राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।

(vi) मंत्रालय, जिला प्राधिकारियों द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निधियों के उपयोग की समीक्षा करेंगे।

(vii) मंत्रालय लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियों और लेखा परीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों और उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा करेगा।

(viii) यह मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्वास के लिए प्रदान की गई एमपीलैड्स निधियों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की आवधिक समीक्षा करेगा तथा एमपीलैड्स कार्यों को समय से पूरा किए जाने के संबंध में इस मामले को राज्य सरकारों के साथ उठाएगा।

(ix) यह मंत्रालय प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की तृतीय पक्ष मॉनीटरिंग करेगा।

6.3 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार की भूमिका

(i) नोडल विभाग, मंत्रालय के साथ समन्वय और राज्यों में एमपीलैड्स कार्यान्वयन के संबंध में समुचित और प्रभावी पर्यवेक्षक के लिए जिम्मेवार होगा। राज्य सरकार दिशानिर्देशों में पूर्व वर्णित जिला प्राधिकारियों की रैंक में पदानुक्रम में उच्च वरिष्ठ अधिकारियों के अधीन विभाग/समर्पित प्रकोष्ठ को एमपीलैड्स कार्यों का समन्वयन एवं मॉनीटरिंग का कार्य सौंपेगी। इसके लिए, मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा जिला प्राधिकारियों और संसद सदस्यों के साथ, एक वर्ष में एक बार एमपीलैड्स कार्यान्वयन प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिए। ऐसी बैठकों में, नोडल विभागों के सचिव और अन्य प्रशासनिक विभागों के सचिवों को भी भाग लेना चाहिए। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को राज्य मॉनीटरिंग

समिति की बैठकों के कार्यवृत्त भेजे जाने चाहिए।

(ii) ऐसे राज्य/संघ राज्यक्षेत्र, जहां डिविजनल कमिश्नर के प्रबंध हों, वहां डिविजनल कमिश्नर को, एमपीलैड्स के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और जिला प्राधिकारियों को मार्गदर्शन करने के लिए शक्तियां प्रदान की जानी चाहिए।

(iii) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र, (क) जिला प्राधिकारी द्वारा अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में निधियों के उपयोग (ख) लेखा परीक्षा आपत्तियों और लेखा परीक्षा से उत्पन्न हुए मामलों और उपयोग प्रमाण पत्र की समीक्षा करेगा।

(iv) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र एक विशिष्ट आदेश द्वारा एमपीलैड्स के कार्यान्वयन के लिए, जिला प्राधिकारियों और जिला कार्यकर्ताओं को तकनीकी और प्रशासनिक शक्तियां प्रदान करेगा।

(v) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र, जिला अधिकारियों के एमपीलैड्स के कार्यान्वयन संबंधी प्रशिक्षण के लिए प्रबंध करे।

(vi) राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र अपने, उप सचिव/कार्यपालक इंजीनियर पद के समकक्ष के अधिकारियों को एमपीलैड्स संबंधी कार्यों के निरीक्षण हेतु प्राधिकृत करेगी, जब कभी वे सरकारी क्षेत्रीय दौरा करते हैं। वह जिला प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षण किए गए एमपीलैड्स संबंधी कार्यों की संख्या की जांच एवं समीक्षा भी करें। जिला प्राधिकारी निरीक्षण रजिस्टरों का अनिवार्य रूप से रखरखाव करेगा – जिनमें एक पैरा 3.21 के अंतर्गत न्यास/सोसाइटी द्वारा किए गए निरीक्षणों के ब्यौरों के लिए तथा दूसरा कार्यान्वयन एजेंसियों के रूप में गैर–सरकारी संगठनों सहित अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को दिए गए कार्यों के ब्यौरे दर्शाने के लिए होगा। राज्य नोडल पदाधिकारी, प्रत्येक वर्ष जिले में कम से कम 1% एमपीलैड्स कार्यों का निरीक्षण करेंगे तथा राज्य स्तर पर निरीक्षण रजिस्टर का रखरखाव किया जाना चाहिए एवं इन निरीक्षणों के दौरान निष्कर्षों पर अनुवर्ती कार्रवाई भी की जानी चाहिए।

(vii) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार के महालेखाकार द्वारा अनुमोदित लेखापरीक्षकों के पैनल में से, प्रत्येक जिला प्राधिकारी के एमपीलैड्स संबंधी लेखों की लेखा परीक्षा के लिए लेखापरीक्षक नियुक्त करेगी। जारी रखने के प्रयोजन के लिए, वही लेखापरीक्षक (यदि राज्य चाहता है) तीन वर्ष के लिए बना रह सकता है तथा कोई नई नियुक्ति अनुवर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए कैलेण्डर वर्ष के जनवरी में की जानी चाहिए।

(viii) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार अपने राज्य में एमपीलैड्स कार्यान्वयन संबंधी डाटा अपनी वेबसाइट पर डालेगी।

(ix) राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार राज्य सभा के संसद सदस्यों के अव्ययित शेष का पैराग्राफ 4.8 में निर्धारित किए गए अनुसार वितरण करेगी।

(x) राज्य के नोडल विभाग उपयोग प्रमाणपत्रों तथा लेखापरीक्षा प्रमाणपत्रों को समय पर प्रस्तुत करने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ समन्वय करेगा। जहां कहीं, इन दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने में विलंब होता है तो नोडल विभाग जिला प्राधिकारियों के साथ मामले को

उठाएगा तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को इन दस्तावेज़ों को समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेगा।

(xi) राज्य स्तरीय मॉनीटरिंग समिति प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों के निष्पादन के लिए प्रदान की गई एमपीलैड्स निधियों की वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति की विशेष रूप से समीक्षा करेगी।

6.4 **जिला प्राधिकारी की भूमिका:** जिला प्राधिकारी की भूमिका का वर्णन दिशा–निर्देशों के विभिन्न पैरों में किया गया है। यहां समन्वय और पर्यवेक्षण के संबंध में जिला प्राधिकारी की भूमिका को इंगित किया जा रहा है।

(i) जिला प्राधिकारी, जिला स्तर पर, योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा, और प्रत्येक वर्ष कार्यान्वयनाधीन कार्यों का कम से कम 10% तक का निरीक्षण करेगा। जिला प्राधिकारी को जहां तक व्यवहार्य हो, संसद सदस्य को भी कार्यों के निरीक्षण में शामिल करना चाहिए।

(ii) जिला प्राधिकारी द्वारा पैरा 2.5 में दिए प्रावधानों का प्रवर्तन किया जाना चाहिए जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एमपीलैड्स संबंधी कार्यों के लिए क्रमशः 15% और 7.5% निधिकरण हेतु अलग से चिन्हित किया गया है।

(iii) जिला प्राधिकारी, संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित प्रत्येक कार्य की स्थिति को दर्शाने वाला कार्य–रजिस्टर रखेगा और 5 लाख और उससे अधिक लागत वाले प्रत्येक कार्य के चित्र सहित कार्य का ब्यौरा निर्धारित फार्मेट में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजेगा एवं एमपीलैड की वेबसाइट पर डालेगा।

(iv) जिला प्राधिकारी को, योजना निधियों द्वारा सृजित परिसंपत्तियों और बाद में उपयोगकर्ता अभिकरणों को उनके स्थानांतरण के संबंध में एक रजिस्टर रखना चाहिए।

(v) जिला प्राधिकारी सोसायटियों और ट्रस्ट द्वारा निष्पादित कार्यों का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चत करेगा कि उनमें अनुबंध संबंधी शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। अनुबंध के किसी प्रावधान के उल्लंघन के मामले में, जिला प्राधिकारी द्वारा अनुबंध के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

(vi) जिला प्राधिकारी कार्यान्वयन अभिकरणों के साथ, प्रत्येक माह तथा किसी भी हालत में प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार एमपीलैड्स संबंधी कार्यों के कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। जिला प्राधिकारी संबंधित संसद सदस्य को समीक्षा बैठकों के लिए आमंत्रित करेगा तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को ऐसी समीक्षा बैठकों की रिपोर्ट भेजेगा।

(vii) लेखापरीक्षा रिपोर्टों में उठाई गई लेखा परीक्षा आपत्तियों को निपटाने की जिम्मेदारी जिला प्राधिकारियों की होगी।

(viii) जिला प्राधिकारी, भारत सरकार, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार और संबद्ध संसद सदस्य को प्रत्येक संसद सदस्य के लिए अगले महीने की 10 तारीख को या उससे पहले पृथक रूप से मासिक प्रगति रिपोर्ट अनुबंध–VI में किए गए प्रपत्र में भरकर भेजेंगे। अनुसूचित जाति एवं

अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में क्रियान्वयन के संबंध में वास्तविक एवं वित्तीय विवरण, अनुबंध–VI में उपलब्ध प्रपत्र के भाग IV और V में प्रस्तुत की जाएगी।

(ix) पैराग्राफ 4.8 के अनुसार, नोडल जिला प्राधिकारी निर्वाचित राज्य सभा संसद के अव्ययित शेष के बारे में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार को रिपोर्ट देगा। वह पैराग्राफ 4.9 और 4.10 के अनुसार ब्यौरे की रिपोर्ट भारत सरकार को भी देगा।

(x) राज्य का नोडल विभाग, यह सुनिश्चित करने के निमित्त कि पुनर्वास कार्यों के निष्पादन के लिए जिला प्राधिकारियों द्वारा निधियों का समय से उपयोग किया जाए, संसद सदस्यों द्वारा अंशदान की गई एमपीलैड्स निधियों को मॉनीटर करेगा। नोडल विभाग प्राकृतिक आपदा से प्रभावित जिलों में पुनर्वास कार्य किए जाने हेतु एमपीलैड्स निधियों के उपयोग के संबंध में मासिक प्रगति रिपोर्टें प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित करेगा।

6.5 कार्यान्वयन अभिकरणों की भूमिकाः

(i) यह कार्यान्वयन अभिकरण के अधिकारियों की जिम्मेवारी होगी कि कार्य स्थलों का नियमित दौरा करें और सुनिश्चित करें कि कार्य, निर्धारित कार्यविधि और विनिर्देशों और समय अनुसूची के अनुसार संतोषजनक प्रगति कर रहे हैं।

(ii) कार्यान्वयन अभिकरण प्रत्येक कार्य की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति से जिला प्राधिकारी को प्रत्येक माह अवगत कराएंगे इसकी एक प्रति संबद्ध राज्य विभाग को भी प्रस्तुत की जाएगी। कार्यान्वयन अभिकरण सॉफ्ट फारमेट में भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। कार्यान्वयन एजेसिंयों द्वारा उनके द्वारा शुरू की जा रही परियोजनाओं की वास्तविक एवं वित्तीय स्थिति को दर्शाने वाले कार्य–रजिस्टर का भी रखरखाव किया जाना चाहिए। इस रजिस्टर में कार्यान्वयन एजेसिंयों द्वारा किए गए स्थल दौरों के ब्यौरे भी होंगे। कार्यान्वयन एजेंसी को 100% कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए।

(iii) कार्यान्वयन अभिकरण, कार्य समाप्त होने के एक माह के अंदर जिला प्राधिकारी को समापन रिपोर्ट/प्रमाणपत्र और उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

(iv) कार्यान्वयन अभिकरण, एक माह के अंदर ब्याज, यदि कोई हो, सहित बचत (अधिशेष राशि) को जिला प्राधिकारी को लौटा देगा।

7. दिशानिर्देशों का अनुप्रयोग

7.1 दिशा–निर्देश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे। एमपीलैड्स संबंधी यह दिशा–निर्देश, वर्तमान दिशा–निर्देशों और उनके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों को प्रतिस्थापन करते हैं।

7.2 एमपीलैड्स के दिशा–निर्देशों से संबंधित स्पष्टीकरण अथवा इन दिशा–निर्देशों में दिए गए प्रावधानों की व्याख्या, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के समक्ष रखी जानी चाहिए इस विषय पर मंत्रालय का निर्णय अंतिम होगा।

अनुबंध-I

नोडल जिले के चयन हेतु फार्म
(समस्त संसद सदस्यों के लिए)

मैं———————————————————————————————————— (दिनांक, माह, वर्ष) से राज्य सभा /लोक सभा का निर्वाचित/मनोनीत सदस्य हूँ। कार्यान्वयन और एमपीलैड्स निधि जारी करने के लिए मेरी पसंद का जिला है:

चयनित जिला :————————————————————————————————

जिले का पता : ——————————————— ——————————————————

——

——

पिन: | | | | | | |

जिस राज्य/ संघशासित प्रदेश में जिला है : ——————————————————

(हस्ताक्षर)

पूरा नाम: ——————————

दिनांक:——————————

स्थाई पता

——————————————————

——————————————————

——————————————————

पिन: | | | | | | |

दिल्ली का पता

——————————————————

——————————————————

——————————————————

पिन: | | | | | | |

एस टी डी कोड के साथ दूरभाष सं0——————— **दूरभाष** ——————————

फैक्स——————————————— **ई मेल** ——————————

(यदि भविष्य में पते में कोई बदलाव हो तो तुरंत सूचित करें)

सेवा में,
निदेशक (एमपीलैड्स)
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार,
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली–110001

प्रतिलिपि श्री/श्रीमती——————————सचिव,——————————————नोडल विभाग,

राज्य सरकार——————————————————

प्रतिलिपि श्री/श्रीमती——————————जिला प्राधिकारी (जिलाधिकारी),——————————

जिला——————गांव/तहसील——————पोस्ट——————पिन——————

अनुबंध-II

एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रतिबंधित कार्यों की सूची

1. केंद्र, राज्य सरकार, उनके विभागों, सरकारी अभिकरणों/संगठनों तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से संबद्ध कार्यालय तथा रिहायशी भवन। तथापि, रेलवे हाल्ट स्टेशन के निर्माण की, पैरा 3.35 के प्रावधान के अधीन अनुमति होगी।
2. कार्यालय तथा रिहायशी भवन तथा निजी, सहकारी और वाणिज्यिक संगठनों से संबद्ध अन्य कार्य।
3. वैसे सभी कार्य जिनमें वाणिज्यिक प्रतिष्ठान/इकाई शामिल हो।
4. किसी भी प्रकार के सभी रख–रखाव वाले कार्य। तथापि, हैंड पंपों के पुनः बोरिंग की, पैरा 3.32 के प्रावधान के अधीन अनुमति होगी।
5. जीर्णोद्धार तथा मरम्मत संबंधी सभी कार्य। (तथापि, महत्वपूर्ण जीवनरक्षक भवनों अर्थात् सरकारी अस्पताल, आपात काल में शरणस्थली के रूप में उपयोग किए जाने वाले सरकारी स्कूल तथा सार्वजनिक भवन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से विशेष अनुमति प्राप्त विरासतीय तथा पुरातात्विक स्मारकों और भवनों में मरम्मत आदि कार्यों की एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुमति दी जाएगी।
6. किसी भी केंद्र तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र क्षेत्र राहत कोष को अंशदान, अनुदान तथा ऋण।
7. किसी व्यक्ति के नाम के ऊपर रखी गई संपति।
8. सचल मदों की परियोजना, अनुबंध–IIक में दिए गए को छोड़कर।
9. भूमि अधिग्रहण तथा अधिगृहित भूमि का मुआवजा।
10. किसी भी प्रकार के कार्य अथवा मद की समाप्ति की अदायगी।
11. व्यक्तिगत/पारिवारिक लाभ हेतु संपति। (तथापि, दिशानिर्देशों के पैरा 3.28 के अनुसार, विकलांग पात्र व्यक्तियों को तिपहिया साइकिल व मोटर चालित तिपहिया साइकिल, कृत्रिम अंग तथा बैटरी से चालू होने वाली मोटर चालित व्हील चेयर (पहिएदार कुर्सी) की अनुमति दी गई है।) सांसद इस शर्त के साथ एक परिवार के उपयोग के लिए परिसंपत्तियां प्रदान करने हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं को एमपीलैड्स निधि प्रदान कर सकता है कि वह सांसद प्राथमिकता सूची अथवा केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना में घोषित चयन हेतु किसी मानदंड में न कुछ जोड़ेगा अथवा बदलाव करेगा। वह लाभग्राहियों के रूप में विशिष्ट व्यक्तियों को नामित नहीं कर सकता है किन्तु वह उस भौगोलिक क्षेत्र को अभिहित कर सकता है जहां ये एमपीलैड्स निधियां खर्च की जाएंगी।
12. समस्त राजस्व और आवर्ती व्यय।

13. धार्मिक पूजन से संबद्ध स्थल तथा धार्मिक आस्था/समूह द्वारा अधिगृहित भूमि के अंतर्गत कार्य।
14. हटा दिया गया।
15. स्वागत द्वारों का निर्माण।
16. अनाधिकृत कालोनियों में कार्यों का निष्पादन।

अनुबंध-IIक

एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अंतर्गत (i) कार्यों की विशेष मदें (ii) गैर–स्थायी प्रकृति के अनुज्ञेय कार्यों की सूची

1. **मनरेगा के साथ संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के साथ मिलानाः (पैरा 3.17.1)** सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) से निधियों को मनरेगा के साथ और ज्यादा स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य मिलाया जा सकता है। सांसद अनुशंसा किए जाने वाले वर्ष के लिए जिला पंचायत द्वारा अनुमोदित मनरेगा परियोजनाओं की सूची के कार्यों के साथ एमपीलैड्स के अभिसरण की सिफारिश कर सकते हैं और इस परियोजना सूची को जिले के लिए मनरेगा के तहत अनुमोदित वार्षिक कार्य–योजना तैयार करने वाले जिला कार्यक्रम समन्वयक की स्वीकृति प्राप्त होनी चाहिए। जहां तक संभव हो, एमपीलैड निधियों का उपयोग केवल सामग्री घटक के संबंध में ही किया जाएगा।

1.1 एक बार मनरेगा के लिए जिस कार्य की सिफारिश कर दी जाएगी उसे वापस लेने का अधिकार सांसदों को नहीं होगा। एमपीलैड्स निधियों के आहरण के अनुरोध के मामले में मनरेगा से अनापत्ति प्रमाणपत्र लेना होगा। सभी अनिवार्य शर्तों, जैसे कि कोई ठेकेदार नहीं होगा, मशीनरी का उपयोग नहीं किया जाएगा, सामाजिक लेखा–परीक्षा अनिवार्य होगी आदि सहित मनरेगा के दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन किया जाएगा। जिला नियोजन समिति (डीपीसी) ग्राम पंचायत को एमपीलैड्स के तहत अभिसरित कार्यों के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित करेगी। जिला नियोजन समिति कार्यों के कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत को पर्याप्त तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगी। चूंकि अपेक्षा यह की जाती है कि सामग्री तथा श्रम घटकों का उपयोग साथ–साथ ही होगा, अतः अभिसरण के ऐसे मामलों में एमपीलैड्स निधियों का उपयोग अंत में करना आवश्यक नहीं है।

1.2 व्यय सम्बंधी खाते एमपीलैड्स और मनरेगा, दोनों के लिए अनिवार्यतः अलग–अलग रखे जाएंगे। कार्य की लागत, एमपीलैड योजना/मनरेगा से अंशदान, कार्य प्रारंभ तथा समाप्त होने एवं उदघाटन की तारीख और एमपीलैड योजना/मनरेगा के तहत कार्य प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम दर्शाने वाली एक संयुक्त पट्टिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए।

2. **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) को खेलो इंडियाः युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के साथ मिलाना (पैरा 3.17.2)** – अधिक टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण के उद्देश्य से सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) से निधियों को खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के साथ मिलाया जा सकता है। सांसद एमपीलैड्स के अंतर्गत, खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम की परियोजना सूची में से पहाड़ी क्षेत्रों के गांवों में खेल के मैदानों को समतल बनाने, चारदीवारी का निर्माण कराने इत्यादि सहित, खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के तहत खेल के मैदानों का विकास जैसे कार्यों की भी सिफारिश कर सकते हैं बशर्ते कि ये कार्य एमपीलैड योजना के तहत पात्र हों। इसी प्रकार, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार, शहरी क्षेत्रों में, बहुद्देश्यीय स्पोर्ट्स हॉल, एथलेटिक ट्रैक, फुटबॉल हॉकी टर्फ इत्यादि जैसी खेल–कूद संबंधी स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए भी खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल

विकास कार्यक्रम के साथ मिलाने की अनुमति दी जाएगी। यह शहरी खेल अवसंरचना के निर्माण के लिए खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

2.1 व्यय सम्बंधी खाते एमपीलैड्स और खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के लिए अनिवार्यतः अलग–अलग रखे जाएंगे। कार्य की लागत, एमपीलैड योजना/खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम से अंशदान, कार्य प्रारंभ तथा समाप्ति एवं उद्घाटन की तारीख और एमपीलैड योजना/खेलो इंडियाः राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के तहत कार्य प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम दर्शाने वाली एक संयुक्त पट्टिका (पत्थर/धातु) स्थायी रूप से लगाई जानी चाहिए।

3. **विकलांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एमपीलैड्स निधियों का उपयोगः (पैरा 3.28)** – विकलांग व्यक्तियों को सहायता देने के लिए सांसद किसी समय अपने एमपीलैड्स कोष से प्रत्येक वर्ष अधिकतम दस लाख रूपए अथवा वित्त वर्ष 2011–12 से प्रभावी, उनकी शेष अवधि की संचित पात्र धनराशि तक की सिफारिश कर सकते हैं। इस प्रकार की सहायता विकलांग व्यक्तियों के वास्ते केवल तिपहिया साइकिलें (हस्त चालित/बैटरी चालित), मोटर चालित/बैटरी चालित पहिएदार कुर्सी और कृत्रिम अंग खरीदने के लिए दी जाएगी। पात्र व्यक्ति ही इस प्रकार की सहायता प्राप्त करे, यह सुनिश्चित करने के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति इस प्रकार की सहायता के लिए प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार करेगी और इन्हें अनुमोदित करेगी। ऐसे पात्र व्यक्तियों के चयन में जिला प्राधिकारी को पूरी तरह शामिल किया जाएगा। समिति यह भी प्रमाणित करेगी कि दरें युक्तिसंगत हैं। आवर्ती खर्चे स्वीकार्य नहीं होंगे। किसी नकद अनुदान की अनुमति नहीं होगी किन्तु सामान प्राप्त किया जाएगा और सार्वजनिक समारोह में पात्र विकलांग व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा ।

4. **कम्प्यूटरों की खरीदः (पैरा 3.30)** – सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों के लिए कम्प्यूटरों की खरीद की अनुमति दी गई है। डीजीएसएंडडी दर संविदा के अनुसार एमएस–वर्ड, एमएस–एक्सेल, एमएस–पावर प्वाइंट, एमएस–एक्सेस, एमएस–आउटलुक से युक्त मीडिया सहित एमएस–ऑफिस सॉफ्टवेयर (माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस एग्रीमेंटसहित स्टैंडर्ड एडीशन) की खरीद की अनुमति भी दी गई है। प्रत्येक स्कूल में दो–दो अध्यापकों को उपर्युक्त सॉफ्टवेयर (विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तथा एमएस–ऑफिस) पर प्रशिक्षण देने की अनुमति भी दी गई है। प्रशिक्षण की अवधि 24 से 48 कार्य घंटों की हो सकती है। प्रशिक्षण को लचीला बनाने के लिए इन घंटों को एक से दो सप्ताह की अवधि में बांटा जा सकता है। जिला स्तर पर प्रशिक्षण अनुमोदित दरों के अनुसार (जिला प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित तथा स्वीकृत) किसी प्राधिकृत एजेंसी द्वारा दिया जाएगा।

5. केंद्र, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र सरकारों तथा स्थानीय स्व–शासन निकाय के शिक्षण संस्थानों के वास्ते सचल पुस्तकालय की खरीद की अनुमति दी गई है जो पैरा 3.31 के प्रावधानों के अधीन होगी।

6. केंद्र, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र सरकारों तथा स्थानीय स्व–शासन निकाय से संबंधित स्कूल बस/वेन सहित वाहन, अर्थ मूवर तथा अस्पतालों, शैक्षणिक, खेल, पेयजल तथा सफाई व्यवस्था के प्रयोजन हेतु उपरकणों की खरीद।

6.1 जब कभी कोई संसद सदस्य किसी सरकारी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थान के निर्माण संबंधी पूंजीगत कार्यों के लिए किसी नए प्रस्ताव की सिफारिश करता है तो वह चल मदों (जैसे फर्नीचर, उपस्कर न कि उपभोग

की वस्तुओं) की खरीद की सिफारिश करेगा। यह प्रस्ताव आवश्यक रूप से चल मदों (जैसे फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि) से संबंधित पूंजीगत कार्यों तथा संबद्ध व्यय के लिए होना चाहिए और यह कुल लागत के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए।

वर्तमान सरकारी अस्पतालों तथा शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सचल मदें जैसे फर्नीचर, उपस्कर इत्यादि की खरीद के लिए सिफारिशें नहीं की जा सकती।

केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा स्थानीय निकायों से संबंधित प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों से संबंधित संस्थानों को छोडकर।

एमपीलैड्स निधियों से एक संसद सदस्य द्वारा केन्द्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों तथा स्थानीय निकायों से संबंधित प्राइमरी तथा माध्यमिक स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए एक वर्ष में 50 लाख रु. तक के फर्नीचर की खरीद के लिए सिफारिश की जा सकती है । कोई स्कूल विशेष अपने जीवन काल में अधिकतम 10 लाख रु. तक की खरीद का पात्र होगा।

एमपीलैड्स के अंतर्गत प्रदत्त फर्नीचर पर स्कूल का नाम, खरीद का वर्ष तथा क्रम सं. अंकित होना अनिवार्य होगा। यह खरीद राज्य सरकार द्वारा लागु नियमों तथा प्रक्रियाओं के अधीन होगी। राज्य शिक्षा विभाग का संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी फर्नीचर की मात्रा, गुणवत्ता तथा लागत के औचित्य को प्रमाणित करेगा तथा जिला प्राधिकारी को अपना प्रमाणीकरण उपलब्ध कराएगा।

इस प्रकार प्राप्त किए गए फर्नीचर की प्रविष्टि स्कूल के स्टॉक रजिस्टर में प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। फर्नीचर की देखभाल करना संबंधित स्कूल का उत्तरदायित्व होगा।

7. अनिवार्य जीवन रेखा भवनों अर्थात् सरकारी अस्पतालों, सरकारी स्कूलों और आपातकाल में शेल्टर के रूप में उपयोग किए जाने वाले सार्वजनिक भवनों तथा विरासत और पुरातत्वीय स्मारकों तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से प्राप्त विशेष अनुमति वाले भवनों में रीट्रोफिटिंग के कार्य।

8. व्यक्ति अथवा परिवार के उपयोग के लिए परिसंपत्तियां प्रदान करने हेतु केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना के लिए एमपीलैड्स निधि का उपयोग किया जा सकता है बशर्ते वह सांसद केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना में घोषित चयन हेतु किसी मानदंड में न कुछ जोड़े अथवा बदलाव करे।

9. **प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्रों की स्थापना (पैरा 3.34):** सांसद नोडल जिले में एमपीलैड्स सुविधा केन्द्र स्थापित करने के लिए पात्र होगा, जिसके लिए कलेक्टरेट/डीआरडीए के परिसर में डीसी/डीम द्वारा स्थान/जगह उपलब्ध कराई जाएगी। उपस्कर, फर्नीचर आदि सहित ऐसी सुविधा स्थापित करने के लिए पूंजीगत लागत 5 लाख रु. से अधिक नहीं होगी तथा इसका वहन एमपीलैड्स निधि से किया जाएगा।

9.1 सुविधा केन्द्र का प्रमुख कार्य, माननीय सांसदों को सभी सूचना एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना होगा जो योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए प्रासंगिक है। यदि जिला एक से अधिक सांसद द्वारा चुना गया है तो सुविधा केन्द्र इन सभी सांसदों को सेवा मुहैया कराएगा। यह सुविधा केन्द्र जिला प्राधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करना चाहिए तथा इस केन्द्र के प्रबंधन के लिए कंप्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को संविदा पर नियुक्त जाना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो, प्रशासनिक प्रभार के लिए रखी गई 2% राशि के अंतर्गत आउटसोर्सिंग/अनुबंध के माध्यम से किसी एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं ली जा सकती हैं। यदि

डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की जाती है तो यह नियुक्ति पूरी तरह से आकस्मिक (आउटसोर्स/अनुबंधात्मक) प्रकृति की होनी चाहिए, यह नियुक्ति किसी भी पद पर नहीं होगी और इसे किसी भी रूप में सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा। और कि नियुक्ति करने वाले जिला प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह देखे कि सरकार (राज्य अथवा केन्द्र) भविष्य में कोई भी प्रशासनिक अथवा कानूनी अथवा वित्तीय दायित्व वहन नहीं करेगी।

9.2 इस सुविधा केन्द्र में इंटरनेट सुविधा तथा अन्य संबंधित सुविधाओं सहित एक कंप्यूटर होना चाहिए। सुविधा केन्द्र का प्रबंधन करने वाले व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जिले में जारी एमपीलैड्स कार्यों के विषय में सभी सूचना, पूर्ण हो चुके सभी कार्यों के संबंध में सूचना, अद्यतन वित्तीय सूचना, अद्यतन एमपीलैड्स संबंधी दिशानिर्देश एवं परिपत्र सुविधा केन्द्र पर उपलब्ध हों। इसके अतिरिक्त, सुविधा केन्द्र में चालू एमपीलैड्स कार्यों के ब्यौरे भी प्रदर्शित किए जाने चाहिए तथा परियोजनाओं की सूची भी रखी जानी चाहिए।

सुविधा केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूचना में अन्य बातों के साथ–साथ निम्नलिखित शामिल हैं:–

(i) कार्यों का ब्यौरा:

(क) संसद सदस्य द्वारा अनुशंसित

(ख) जांच हेतु लंबित

(ग) अनुपयुक्त पाए गए तथा अस्वीकार किए गए

(घ) स्वीकृत

(ड.) लंबित संस्वीकृति, कारणों सहित

(ii) कार्यों की वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति सहित कार्यान्वित किए जा रहे कार्यों का ब्यौरा।

(iii) कार्यों पर वहन किए गए कुल व्यय सहित पूरे किए गए कार्यों का ब्यौरा।

(iv) नवीनतम मासिक प्रगति रिपोर्ट।

इसके अलावा, सुविधा केन्द्र निम्नलिखित का भी अनुरक्षण करेंगे :

- एमपीलैड्स दिशानिर्देश
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र।
- निर्देशात्मक एवं उदाहरण–स्वरूप परियोजनाओं की सूची।

9.3 सुविधा केन्द्रों के पास अपने स्वयं के ई–मेल पते होने चाहिए। यदि आवश्यक हो, जिला प्राधिकारी को ऐसे सुविधा केन्द्र की स्थापना में जिले के एनआईसी प्रकोष्ठ की सहायता लेनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, जिला प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सुविधा केन्द्र के प्रबंधन हेतु जिन व्यक्तियों को अनुबंध पर नियुक्त किया गया है, उनका व्यवहार अच्छा और शिष्टतापूर्ण हो।

9.4 आवर्ती चालू व्यय 2% प्रशासनिक खर्च के तहत होगा, जिसमें से नोडल जिलों को 0.8% मिलते हैं।

10: एम्बुलेंस/शव वाहन (3.25):

(क) संसद सदस्य की सिफारिश पर जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा एम्बुलेंसों की खरीद की अनुमति पहले से ही दी गई है।

(ख) एम्बुलेंसों/शव वाहनों की खरीद संसद सदस्य की सिफारिश पर तथा जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच किए जाने के बाद की जाएगी जिसमें जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल हों।

(ग) खरीदी गई एम्बुलेंस/शव वाहन जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के स्वामित्व तथा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सामान्य पर्यवेक्षण में रहेगा।

(घ) प्रयोक्ता प्रभार, जिला प्राधिकारी (उपयुक्त तरीके से गठित समिति की सिफारिश पर) द्वारा तय किए जाएंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि तय किए गए प्रभार सुसंगत है और आम आदमी द्वारा वहन किए जा सकते हैं।

(ड.) जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट इन एम्बुलेंसों/शव वाहनों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की निगरानी करेंगे ताकि जनता को उनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

(च) इस प्रकार खरीदे गए प्रत्येक एम्बुलेंसों/शव वाहनों पर दोनों तरफ मोटे अक्षरों में श्री/श्रीमती———————————— संसद सदस्य के अंशदान से भारत सरकार, एमपीलैड्स निधि से खरीदा गया एम्बुलेंस/शव वाहन लिखा जाएगा।

(छ) जिला प्राधिकारी सरकारी चिकित्सालयों, नगर निगम/पंचायत कार्यालयों आदि में प्रमुख स्थानों पर संसद सदस्य द्वारा अपने एमपीलैड्स स्कीम निधियों से एम्बुलेंस/शव वाहन उपलब्ध कराए जाने के बारे में सार्वजनिक नोटिस लगाएंगे जिसमें संपर्क के लिए दूरभाष नं. दिए जाएंगे ताकि जनता एम्बुलेंस/शव वाहन की सेवाएं प्राप्त कर सके और उसके दुरूपयोग या प्रयोग न किए जाने के बारे में शिकायत दर्ज करा सके जिससे जिला प्राधिकारी उन शिकायतों की समुचित जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर सके।

10.1 वन्य जीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में बीमार/घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंसों की खरीद पशुओं को ले जाने तथा लाने के लिए वाहन (पैरा 3.25.1)

वन्य जीव अभयारण्यों तथा राष्ट्रीय उद्यानों में पशुओं (बीमार/घायल अथवा अन्यथा) को ले जाने तथा लाने के निमित्त वाहनों की खरीद करने के संबंध में निम्नलिखित प्रावधानों के अनुरूप अनुमति प्रदान की गई है:

(क) वाहनों की खरीद एक त्रिसदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर बतौर अध्यक्ष तथा संबंधित जिला वन अधिकारी और संबंधित वन्य जीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यानों के निदेशक/प्रमुख के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में होंगे।

(ख) इस प्रकार क्रय किए गए वाहन का स्वामित्व संबंधित वन्य जीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों के पास होगा और वाहन संबंधित वन्य जीव अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान के निदेशक/प्रमुख की सामान्य देखरेख के अंतर्गत होगा।

(ग) इस प्रकार क्रय किए गए वाहन पर दोनों तरफ बड़े अक्षरों में 'पशुओं को लाने तथा ले जाने के लिए वाहन' भारत सरकार की एमपीलैड्स निधि के तहत श्री ——————————————, संसद सदस्य के अंशदान से प्राप्त' लिखा हो।

पैरा 10.2: पशुओं को ले जाने तथा लाने के लिए एम्बुलेंस (3.25.2):

(क) वन्य जीव अभ्यारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों में संसद सदस्य की सिफारिश पर जिला प्राधिकारी द्वारा बीमार/घायल पशुओं के लिए एम्बुलेंसों की खरीद की अनुमति पहले ही दी गई है । जिले में बीमार/घायल पशुओं को ढोने के लिए एम्बुलेंसों की खरीद की अनुमति दिए जाने का निर्णय भी लिया गया है।

(ख) एम्बुलेंसों की खरीद संसद सदस्य की सिफारिश पर एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा जांच किए जाने के पश्चात् की जाएगी जिसमें जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर अध्यक्ष होगा तथा जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी और संबंधित जिला पशु चिकित्सा अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे ।

(ग) खरीदी गई एम्बुलेंस का स्वामित्व जिला प्राधिकारी/जिला मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के पास होगा।

(घ) प्रयोक्ता प्रभार जिला प्राधिकारी (उपयुक्त तरीके से गठित समिति की सिफारिश पर) द्वारा तय किए जाएंगे जो यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि तय किए गए प्रभार सुसंगत है और आम आदमी द्वारा वहन किए जा सकते हैं।

(ङ) जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट इन एम्बुलेंसों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं की निगरानी करेंगे ताकि जनता को उनका अधिकतम लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

(च) इस प्रकार खरीदे गए प्रत्येक एम्बुलेंसों पर दोनों तरफ मोटे अक्षरों में श्री/श्रीमती——————————— संसद सदस्य के अंशदान से भारत सरकार, एमपीलैड्स निधि से खरीदा गया ''पशुओं को लाने तथा ले जाने के लिए एम्बुलेंस'' लिखा जाएगा।

(छ) जिला प्राधिकारी सरकारी चिकित्सालयों, नगर निगम/पंचायत कार्यालयों आदि में प्रमुख स्थानों पर संसद सदस्य द्वारा अपने एमपीलैड्स स्कीम निधियों से एम्बुलेंस वाहन उपलब्ध कराए जाने के बारे में सार्वजनिक नोटिस लगाएंगे जिसमें संपर्क के लिए दूरभाष नं. दिए जाएंगे ताकि जनता एम्बुलेंसों की सेवाएं प्राप्त कर सके और उसके दुरूपयोग या प्रयोग न किए जाने के बारे में शिकायत दर्ज करा सके जिससे जिला प्राधिकारी उन शिकायतों की समुचित जांच करने के बाद आवश्यक कार्रवाई कर सके।

11. स्कूलों, कालेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद: (पैरा 3.29)– केंद्र, राज्य, संघ राज्यक्षेत्र तथा स्थानीय स्वशासन निकायों के स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक पुस्तकालयों

के लिए पुस्तकों की खरीद के वास्ते नीचे दी गई सीमा के अनुसार एमपीलैड्स निधियों से प्रति वर्ष 22 लाख रूपए तक की धन राशि दी जा सकती है:

(i) मिडिल स्तर तक के स्कूलों के लिए पुस्तकों की खरीद – 6 लाख रूपए तक

(ii) हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्तर तक के स्कूलों के लिए पुस्तकों की खरीद – 8 लाख रूपए तक

(iii) कॉलेजों/अन्य तकनीकी संस्थानों/आईटीआई/सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए – 8 लाख रूपए तक पुस्तकों की खरीद

स्कूलों, कॉलेजों और अन्य तकनीकी संस्थानों आदि के लिए पुस्तकों की खरीद की सिफारिश करते समय, किसी भी स्कूल/ कॉलेज/अन्य तकनीकी संस्थान/आईटीआई/पुस्तकालय के लिए निम्नलिखित मौद्रिक सीमा का पालन किया जाएगा:

(i) मिडिल स्तर तक – 10,000 रूपए

(ii) हाई स्कूल/हायर सेकेन्डरी स्कूल स्तर तक – 25,000 रूपए

(iii) कॉलेजों/अन्य तकनीकी संस्थानों/आईटीआई/सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए – 50,000 रूपए

ये स्कूल/कॉलेज/संस्थान अगले वर्ष किताबों की सिफारिश के हकदार नहीं होंगे, लेकिन तीसरे वर्ष वे फिर से इस सिफारिश के हकदार हो जाएंगे।

माननीय सांसदों द्वारा की गई सिफारिश की जांच/अनुमोदन का कार्य एक समिति द्वारा किया जाएगा। इस समिति में निम्नलिखित को शामिल किया जाएगा–

(i) जिला शिक्षा अधिकारी – अध्यक्ष

(ii) जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर का एक प्रतिनिधि;

(iii) दो प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक; और

(iv) स्कूल/कॉलेज/संस्थान का मनोनीत प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, जिसे किताबों की आपूर्ति किए जाने का प्रस्ताव है।

12. **एमपीलैड योजना के तहत लगाए गए हैंड पंपों की जगह नए बोर पंप लगाना (पैरा 3.32) :** मौजूदा खराब हैंड पंपों की जगह नए बोर पंप लगाने की अनुमति दी गई है, खराब हैंड पंपों के फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले हिस्सों–पुरजों को भी नए बोर पंपों में काम में लाया जाएगा। यह अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर निर्भर करती है:

1. तकनीकी–आर्थिक व्यावहारिता पर निर्भर करते हुए और संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस प्रकार की नई बोरिंग लगाने की अनुमति दी जा सकती है।

2. खराब हैंड पंपों के फिर से उपयोग में लाए जा सकने वाले उपकरणों/हिस्सों–पुरजों को नई बोरिंग

में उपयोग में लाया जाएगा।

3. ऐसी नई बोरिंगें केवल पीने के पानी और पारिवारिक प्रयोजनों के लिए लगाई जाएंगी और इनसे मिलने वाले पानी को किसी भी हालत में किसी और प्रयोजन जैसे कि कृषि कार्य, उद्योग, वाणिज्य, बागवानी आदि के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

4. ऐसी नई बोरिंगों की नेमी तौर पर नहीं बल्कि केवल जरूरत–आधारित मामलों में ही अनुमति दी जाएगी और किसी भी हालत में इनसे जलस्तर को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए।

5. इस प्रकार की नई बोरिंगों के प्रस्ताव एमपीलैड्स संबंधी दिशा–निर्देशों में दी गई अन्य सभी शर्तों पर खरे उतरने चाहिए।

13. रेलवे हाल्ट स्टेशन का निर्माणः (पैरा 3.35)– यदि सांसद द्वारा एमपीलैड योजना की निधि का प्रस्ताव किया जाता है तो रेल में चढ़ने/उतरने के लिए स्थानीय समुदाय को मदद देने के वास्ते रेलवे हाल्ट स्टेशन के निर्माण हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है। कार्यान्वयन रेलवे के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा जो एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अधीन होगा।

13.1 यदि रेलवे भी ऐसे कार्यकलापों में सहयोग दे रहा है तो व्यय के लेखों का एमपीलैड्स तथा रेलवे दोनों के लिए पूरी तरह अलग–अलग रखरखाव किया जाएगा तथा किसी द्विरावृत्ति/दुहरे लेखांकन को रोकने के लिए कड़ाई से जांच की जाए। शामिल लागत, एमपीलैड्स/रेलवे द्वारा किए गए अंशदानए यदि कोई है, शुरूआत, समापन और उदघाटन तथा कार्य को प्रायोजित करने वाले सांसद का नाम दर्शाने वाली पट्टिका (इस्पात/धातु) स्थायी रूप से लागाई जानी चाहिए।

14. बार संघों को सहायता (पैरा 3.38) – सांसद तहसील/उप–मंडल/जिला स्तर पर बार संघ के भवन–निर्माण के प्रयोजनार्थ बार संघों के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं, बशर्ते इसके लिए भूमि केन्द्र, राज्य/संघ राज्यक्षेत्र अथवा स्थानीय स्वायत्त शासन की हो तथा यह एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के प्रावधानों के अध्यधीन हो। बार संघ के किसी आवर्ती व्यय के लिए कोई एमपीलैड्स निधि अनुमत्य नहीं होगी।

14.1 पुस्तकों की खरीद के लिए बार संघ पुस्तकालय को सहायता (पैरा 3.38.1): उपर्युक्त पैरा 3.38 और एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के प्रावधानों के अध्यधीन, सांसद निचली अदालतों एवं जिला न्यायालयों (अर्थात तहसील/उप–मंडल/जिला स्तर के न्यायालय) के लिए 50,000/– रुपए प्रतिवर्ष तक की पुस्तकों की खरीद हेतु बार संघ पुस्तकालय के लिए एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं।

पैरा 3.38 और 3.38.1 के अंतर्गत सांसदों द्वारा की गई सिफारिशों की जांच/उनका अनुमोदन एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः

– संबंधित जिले का जिला आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
– जिला/सत्र न्यायधीश द्वारा मनोनीत लोक अभियोजक	सदस्य

– संबंधित न्यायालय का पंजीयक सदस्य

– बार परिषद द्वारा मनोनीत दो विख्यात वकील/अधिवक्ता सदस्य

चूंकि, वर्तमान में, एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के पैरा 3.21 के तहत सामुदायिक अवसंरचना एवं जनोपयोगी निर्माण कार्य केवल पंजीकृत सोसाइटियों/न्यासों के लिए ही अनुमत्य हैं तथा पुस्तकें इसमें शामिल नहीं हैं, अतः पैरा 3.21 की विषय–वस्तु में संशोधन करते हुए पैरा 3.38.1 जोड़ा गया है।

15 सौर लाइट की व्यवस्था

यद्यपि एमपीलैड्स के अंतर्गत व्यक्तिगत सौर लाइटों के लिए लाभग्राही अंशदान निषिद्ध रहेगा, तथापि उन मामलों में जहां सौर परियोजना के लिए सब्सिडी की कटौती के पश्चात निवल लागत का वहन सरकार अथवा स्थानीय निकाय/एजेन्सी को करना होता है, जहां परियोजना सार्वजनिक स्थान पर हो, जहां परियोजना आम जनता/समुदाय के लिए हो और जहां सौर लाइटों के उत्तरवर्ती रख–रखाव की व्यवस्था की गई हो, सौर लाइटों की व्यवस्था करना एमपीलैड्स के अंतर्गत अनुमत्य होगा । ये आम जनता की भलाई के लिए तथा उनके हित में होती हैं तथा ये सौर–ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और ऐसे मामलों में व्यक्तिगत, पारिवारिक लाभ का पहलू सामने नहीं आता।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि उपर्युक्त का आशय अनुबंध–11 के मद 11 और पैरा 3.20 में निहित प्रावधानों को किसी प्रकार से शिथिल करना नहीं है।

16. रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्थायी प्रतीक्षा कुर्सियों/बेंचों की स्थापनाः

एमपीलैड्स स्कीम से निधियां रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए स्थायी प्रतीक्षा कुर्सियों/बेंचों (ओवरहैड शेडो सहित) की स्थापना के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। यह रेल मंत्रालय की संपत्ति होगी जो विधिवत रूप से उसकी सूची में शामिल होगी। इसका कार्यान्वयन पैरा 2.11 (ख) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार होगा जिसमें कथन है कि कतिपय केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/संगठनों (जैसे रेलवे) में कतिपय कार्यों के संबंध में जहां कार्यान्वयन एजेंसी आवश्यक रूप से केन्द्र सरकार का संबंधित मंत्रालय/संगठन होगी, कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में उसी का चयन किया जाएगा।

17. स्कूलों में शौचालयों का निर्माणः

जिला प्राधिकारियों से निम्नानुसार अनुरोध किया गया हैः

(i) यह कि जब कभी एमपीलैड्स के तहत स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं में कोई आधारी संरचना की सिफारिश की जाती है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रस्ताव में सदा ही शौचालयों की आवश्यक संख्या शामिल हो।

(ii) सह–शिक्षा स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं के मामले में, लड़कियों के लिए अलग शौचालय होना चाहिए।

(iii) एमपीलैड्स के तहत स्कूलों/शिक्षण संस्थाओं के लिए आधारी संरचना केवल और केवल यह सुनिश्चित करने के बाद मंजूर की जानी चाहिए कि उस स्कूल/शिक्षण संस्था में आवश्यक संख्या में शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित की गई हो।

(iv) इसके अलावा, जहां कहीं संभव और उचित हो बायो–डाइजेस्टर शौचालयों के उपयोग को भी अपनाया

जाना चाहिए।

(v) इसके साथ ही, माननीय सांसदों के संदर्भ और उपयोग के लिए शौचालय रहित स्कूलों की सूची तथा लड़कियों के लिए अलग शौचालय रहित सह–शिक्षा स्कूलों की सूची तैयार करके शीघ्र उपलब्ध कराई जाए।

18. कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शैल्टर

कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए शैल्टरों की अनुमति एमपीलैड्स की आम स्कीम की तर्ज पर होगी, जिसमें यह निर्धारित किया गया होगाः

(i) वे **केवल** निम्नलिखित के लिए स्वीकार्य होंगेः

(क) सरकार/सरकारी संस्थान (एमपीलैड्स से आम अभिप्राय के अनुसार): और

(ख) पंजीकृत न्यास/सोसायटियां (एमपीलैड्स संबंधी दिशा–निर्देशों के पैरा 3.21 के अनुसार)

(ii) **दोनों** मामलों मेंः

(क) वाणिज्यिक गतिविधियों की **मनाही** होगीः

(ख) **केवल** इस प्रकार के शैल्टरों की अनुमति होगी जो **विशिष्ट कौशल प्रशिक्षण** प्रदान करने के लिए **उपयुक्त** हैं और **विशेष रूप से** इस उद्देश्य के लिए डिजाइन किए गए हैं ।

(ग) शैल्टर्स इस प्रकार के भी हो सकते हैं जिनको **खोलकर अलग किया जा सके**, **परिवहन किया जा सके** और अन्य स्थानों पर **स्थायी तौर पर पुनः बनाया** और **पुनः प्रयोग में लाया** जा सके।

(घ) एमपीलैड्स के तहत सृजित शैल्टरों की प्राप्तकर्ता सरकारी संस्थान या एमपीलैड्स दिशा–निर्देशों के पैरा 3.21 के अंतर्गत पात्र पंजीकृत न्यास/सोसायटी के स्टॉक रजिस्टर में विधिवत रूप से प्रविष्टि की जाएगी।

(ङ) इनका कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के नियमों, दिशा–निर्देशों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाएगा।

19. भविष्य में यह अनिवार्य होगा कि एमपीलैड्स के अंतर्गत सृजित टिकाऊ परिसंपत्तियां, जहां कहीं व्यवहार्य हों, निःशक्त व्यक्तियों के प्रयोग के अनुकूल होंगी । एमपीलैड्स के अंतर्गत सृजित विद्यमान टिकाऊ परिसंपत्तियों में उन्हें निःशक्त व्यक्तियों के प्रयोग के अनुकूल बनाने के लिए सुधार की भी अनुमति होगी।

यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में एमपीलैड्स संबंधी दिशा–निर्देशों के अंतर्गत विशेष रूप से अनुमत्य तथा एमपीलैड्स निधियों से खरीदी गई सभी चल परिसंपत्तियां जैसे कि स्कूल बसें, एम्बुलैंस, सचल औषधालय, इत्यादि जहां कहीं व्यवहार्य हो, निःशक्त व्यक्तियों के प्रयोग के अनुकूल होंगी।

20. संसद सदस्य एमपीलैड्स संबंधी दिशा–निर्देशों के पैरा 3.17 और 3.18 में निहित प्रावधानों के अध्यधीन ''स्वच्छ भारत अभियान'' जैसी स्कीमों जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है, के लिए धनराशि में बढ़ोतरी हेतु निधियों की सिफारिश कर सकते हैं।

अनुबंध-III

संसद सदस्य द्वारा उपयुक्त कार्यों की अनुशंसा हेतु फार्मेट

(अनुशंसा सांसद के पत्र शीर्ष ही की जाए)

स्थानः.....

दिनांकः.....

प्रेषक

नाम

संसद सदस्य (लोक सभा/राज्य सभा)

पता

सेवा में,

जिला प्राधिकारी

(जिलाधीश/उपायुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/नगर निगम आयुक्त/जिला योजना समिति के सीईओ)

विषयः एमपीलैड्स स्कीम के अंतर्गत कार्यों की अनुशंसा।

महोदय,

मैं अनुशंसा करता हूँ कि एमपीलैड्स निधि से नीचे दी गई प्राथमिकता के अनुसार निम्नलिखित कार्यों की कृपया संवीक्षा करें तथा मंजूरी दें। प्राथमिकता सं..... में कार्य और ..... उस क्षेत्र के विकास के लिए हैं, जिनमें क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग बसे हुए हैं ।

प्राथमिकता सं.	कार्य का स्वरूप (क्षेत्र का नाम तथा कार्य का कोड)*	स्थान	लागत लगभग (रूपये लाख में)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

*कृपया दिशा–निर्देश के अनुबंध–IVड. को देखें।

(यदि सांसद अपने अधिकार से अधिक कार्य की अनुशंसा करता है तो प्राथमिकता सूची में वृद्धि हो सकती है।)

2. उपर्युक्त कार्यो की कृपया संवीक्षा की जाए और इस पत्र की प्राप्ति के 75 दिन के अंदर तकनीकी, वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी जारी की जाए। मंजूरी वाले कार्यों को एमपीलैड्स दिशा निर्देश के प्रावधानों के अनुसार शीघ्र पूर्ण किया जाए। कृपया मुझे मंजूरी और कार्य के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सूचना दें । यदि कोई अनुशंसित कार्य न होने लायक/अस्वीकृत पाया जाता है तो इसके लिए 45 दिनों के भीतर मुझे अवगत कराया जाए। यदि मंजूरी में 75 दिन से अधिक विलंब होता है तो इसके लिए कारणों से भी मुझे अवगत कराया जाए।

भवदीय,

(सांसद के हस्ताक्षर)

अनुबंध-IVक

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
जिला प्राधिकारी हेतु सूचना प्रपत्र

राज्यः _____ कार्यान्वयन करने वाला जिलाः _____

लोक सभा/राज्य सभाः _____ नोडल जिला : _____

यदि लोक सभा से हैं तो निर्वाचन क्षेत्र _____ सांसद _____ रिपोर्ट (माह/वर्ष) के लिए _____

ब्लॉक/शहरीः _____ वार्ड/ग्राम पंचायत _____

---

1. कार्य पहचान संख्या _____

2. जिस स्थल पर कार्य होना है _____

3. क्षेत्र _____

4. स्कीम _____

5 इस कार्य के अंतर्गत कवर किए गए अनुसूचित जातियों एवं एवं अनुसूचित जनजातियों की संख्या

	(अ जा)	(अ ज जा)	कुल

6. क) प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख

	(दिनांक)	(माह)	(वर्ष)

ख) सांसद द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव की प्राथमिकता संख्या _____

ग) स्वीकृति की तारीख

	(दिनांक)	(माह)	(वर्ष)

घ) कार्य शुरू होने की तारीख

	(दिनांक)	(माह)	(वर्ष)

7. स्वीकृत कार्य की लागत (रूपए) _____

8. कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण _____

9. पूर्ण होने की तारीख

	(दिनांक)	(माह)	(वर्ष)
क) वास्तविक (स्वीकृति आदेश पर यथा सूचित)			
ख) अनुमानित (यदि पूर्ण हो तो वास्तविक)			

10. संचयी व्यय (रूपए)

11. वर्तमान स्थिति
(एन–अभी शुरू नहीं, ओ–जारी, सी–पूर्ण, डी–बीच में बंद)

12. वास्तविक प्रगति (प्रतिशत)

13. जारी संचयी राशि (रूपए)

	(दिनांक)	(माह)	(वर्ष)
14. पिछले भुगतान की तारीख			

15. कार्य पूर्ण हो गया हो तो बच गई राशि (रूपए)

	(दिनांक)	(माह)	(वर्ष)
16. जिला प्राधिकारी को बची राशि लौटाने की तारीख			
17. कार्य पूर्ण हो गया हो तो प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपने की तारीख			
18. कार्य पूर्ण हो गया हो तो कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण द्वारा समाप्ति रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख			

19. टिप्पणी, यदि कोई हो

इस जगह का प्रयोग बीच में बंद कर दी गई परियोजनाओं/कार्य निष्पादन में विलंब /पूरा न हो पाने के कारण अथवा कार्य को दुबारा शुरू करने/शीघ्र आरंभ अथवा समाप्ति के लिए उठाये गए कदम तथा किसी अन्य टिप्पणी के उल्लेख के लिए करें।

अनुबंध-IVख

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
मास्टर डाटा एंट्री हेतु सूचना प्रपत्र

राज्यः _____ कार्यान्वयन करने वाला जिलाः _____

राज्य सभा/लोक सभा [ ][ ] नोडल जिला _____

यदि लोक सभा है तो निर्वाचन क्षेत्रः _____ सांसद _____ रिपोर्ट (माह/वर्ष) के लिए _____

ब्लाक/शहरीः _____ वार्ड/ग्राम पंचायत _____

---

1. कार्य पहचान सं0 _____
2. जिस स्थल पर कार्य होना है _____
3. क्षेत्र _____
4. योजना _____
5. इस कार्य के अंतर्गत कवर किए गए अनु.जातियों एवं अनु.जन.जातियों की संख्या

	अनु.जा	अनु.ज.जा	कुल

6.

	(दि.)	(माह)	(वर्ष)
क) प्रस्ताव प्राप्ति की तारीख			
ख) सांसद द्वारा अनुशंसित प्रस्ताव की प्राथमिकता संख्या			
ग) स्वीकृति की तारीख			
घ) कार्य शुरू होने की तारीख			

7. कार्य लागत (रूपए) _____

8. कार्यान्वयन करने वाला अभिकरण

9. समाप्ति की तारीख (दि.) (माह) (वर्ष)
वास्तविक (स्वीकृति आदेश पर यथा सूचित)

10. इस कार्य से अनु.जातियों तथा अनु.जनजातियों को लाभ होगा अनु.जाति हाँ/नहीं
(कुल जनसंख्या में से अनु.जातियों एवं अनु.जनजातियों की संख्या बताएं) अनु.जनजाति हाँ/नहीं

अनुबंध-IVग

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
मासिक आंकड़ा प्रविष्टि हेतु इनपुट फार्मेट

राज्यः _____ कार्यान्वयन करने वाला जिलाः _____

क्या लोक सभा/राज्य सभा के हैं _____ नोडल जिलाः _____

निर्वाचन क्षेत्रः यदि लोक सभा के है _____ सांसद का नाम _____ रिपोर्ट (माह/वर्ष) के लिए _____

ब्लॉक का नामः _____ गांव का नामः _____

---

1. पूरा होने की अब प्रत्याशित तारीख (यदि वास्तव में पूरा हो गया है) — (दि.) _____ (माह) _____ (वर्ष) _____

2. संचयी व्यय (रूपए) _____

3. वर्तमान स्थिति (एन–अभी शुरू नहीं किया, ओ–हो रहा है, सी–पूरा हो गया, डी–बंद हो गया) _____

4. वास्तविक प्रगति (कार्य) (प्रतिशत) _____

5. जारी की गई संचयी राशि _____

6. पिछला जारी भुगतान की तारीख — (दि.) _____ (माह) _____ (वर्ष) _____

7. यदि पूरा हो गया है तो बचत राशि _____

		(दि.)	(माह)	(वर्ष)
8.	जिला प्राधिकारी को बची राशि लौटाने की तारीख			
9.	यदि पूरा हो गया है तो प्रयोग करने वाले अभिकरण को सौंपने की तारीख			
	यदि पूरा हो गया है, तो कार्यान्वयन करने वाले अभिकरण द्वारा समापन प्रमाणपत्र प्रस्तुतीकरण की तारीख			

टिप्पणियां यदि कोई हों

यह स्थान परियोजना के बंद होने/निष्पादन में विलंब होने/पूर्ण न होने, या कोई अन्य टिप्पणी और पुनः आरंभ करने/कार्य को शीघ्र शुरू करने और पूर्ण करने हेतु कारणों का उल्लेख करने में प्रयुक्त करें।	

अनुबंध-IVघ

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा डाटा एंट्री के लिए फॉर्म

राज्य _____ जिला _____

सांसद _____

क्या लोक सभा/राज्य सभा के हैं _____ नोडल जिलाः _____

निर्वाचन क्षेत्र यदि लोक सभा के हैं _____ रिपोर्ट (माह/वर्ष) माह के लिए _____

कार्यान्वयन अभिकरण _____

---

1. कार्य पहचान संख्या (वही होना चाहिए जो जिले ने दिया है) _____

2. पूरा होने की तारीख (यदि वास्तव में पूरा हो गया है) — दि. _____ माह _____ वर्ष _____

3. संचयी व्यय (रूपए) _____

4. वर्तमान स्थिति (एन–अभी शुरू नहीं, ओ–जारी, सी–पूर्ण, डी–बीच में बंद) _____

5 वास्तविक प्रगति (प्रतिशत) _____

6. प्राप्त संचयी राशि (रूपये) _____

7. पिछला जारी भुगतान की तारीख — दि. _____ माह _____ वर्ष _____

8. यदि कार्य पूरा हो गया है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा जिला प्राधिकारी को वापस की गई बाकी राशि _____

9. जिला प्राधिकारी को बची राशि लौटाने की तारीख — दि. _____ माह _____ वर्ष _____

		दि.	मास	वर्ष
10.	यदि कार्य पूरा हो गया है तो कार्य पूरा होने की रिपोर्ट की प्रस्तुतीकरण की तारीख			

11. टिप्पणियां यदि कोई हों

यह स्थान परियोजना के बंद होने/निष्पादन में विलंब होने/पूर्ण न होने, या कोई अन्य टिप्पणी और पुनः आरंभ करने/कार्य को शीघ्र शुरू करने और पूर्ण करने हेतु कारणों का उल्लेख करने में प्रयुक्त करें।

अनुबंध-IVङ

सेक्टर और स्कीमों की कोड सूची

(यह एमपीलैड्स के अंतर्गत सेक्टर–वार प्रकार का उदाहरणस्वरूप कार्य है और दिशा–निर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन है। इसे न तो एमपीलैड्स के अंतर्गत उपयुक्त मदों की/परिसमापन सूची के रूप में माना जाए और न ही परियोजनाओं की सूची/मास्टर सूची के रूप माना जाए)

		सेक्टर	योजना
I	**पेयजल सुविधा (01)**		
1.	ट्यूब वैल	01	001
2.	वाटर टैंक	01	002
3.	हैंड पम्प	01	003
4.	वाटर टैंकर	01	004
5.	पाइप से पेयजल आपूर्ति	01	005
6.	पेयजल मुहैया कराने हेतु अन्य कार्य	01	999
II	**शिक्षा (02)**		
1.	सरकारी शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन	02	001
2.	सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु भवन	02	002
3.	सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों हेतु कम्प्यूटर	02	003
4.	मध्याह्न भोजन योजना के लिए सोलर गीजर तथा फिक्सड प्योरीफायर युक्त भोजनालयों तथा रसोईघरों का निर्माण	02	004
5.	शैक्षणिक संस्थानों हेतु अन्य परियोजनाएं	02	999
III	**विद्युत सुविधा (03)**		
1.	सार्वजनिक स्ट्रीट और स्थानों पर प्रकाश हेतु परियोजना	03	001
2.	विद्युत वितरण अवसरंचना के सुधार हेतु सरकारी अभिकरणों की परियोजना	03	002
3.	अन्य	03	999
IV	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (04)**		
1.	अस्पतालों, परिवार कल्याण केंद्रों, जन स्वास्थ्य देखभाल केंद्र, एएनएम केंद्रों हेतु भवन	04	001
2.	सरकारी अस्पतालों और औषधालयों के लिए अस्पताल के उपस्करों की प्राप्ति	04	002
3.	सरकारी अस्पतालों/औषधालयों हेतु 5 लाख अथवा अधिक की कीमत के चिकित्सीय उपस्कर	04	003
4.	सरकारी एम्बुलेंस	04	004
5.	चलता–फिरता औषधालय	04	005
6.	शिशु सदन और आंगनबाड़ी	04	006

7.	ब्लड बैंक भवन तथा अचल और टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण	04	007
8.	एनजीओ के माध्यम से चलने वाले एंबुलेंस/शव वाहन	04	008
9.	अन्य स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परियोजनाएं	04	999
V	**सिंचाई सुविधाएं (05)**		
1.	लोक सिंचाई सुविधाओं का निर्माण	05	001
2.	बाढ़ नियंत्रण बांधों का निर्माण	05	002
3.	पब्लिक लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं	05	003
4.	लोक भूजल रीचार्जिंग सुविधाएं	05	004
5.	अन्य लोक सिंचाई परियोजनाएं	05	999
VI	**गैर–पारम्परिक ऊर्जा स्रोत (06)**		
1.	सामुदायिक गोबर गैस संयंत्र	06	001
2.	सामुदायिक प्रयोग हेतु गैर–पारम्परिक ऊर्जा प्रणाली/ साधन	06	002
3.	अन्य	06	999
VII	**अन्य लोक सुविधाएं (07)**		
1.	सामुदायिक केंद्रों का निर्माण*	07	001
2.	चक्रवात, बाढ़ पीड़ितों और विकलांगों हेतु संयुक्त आश्रय–गृह	07	002
3.	पब्लिक लाइब्रेरी और रीडिंग रूम का निर्माण	07	003
4.	कब्रिस्तान/श्मशान संबंधी दाहशाला और स्ट्रक्चर का निर्माण	07	004
5.	कारीगरों हेतु कॉमन वर्क शेड	07	005
6.	सार्वजनिक परिवहन को यात्रियों के लिए बस शैड/स्टॉप का निर्माण	07	006
7.	सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु भवन	07	007
8.	बाढ़ और चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों (व्यक्ति विशेष के लिए नहीं) हेतु मोटरबोट की खरीद	07	008
9.	स्कीम में स्वीकृत भवनों हेतु चारदीवारी	07	009
10.	सार्वजनिक पार्क	07	010
11.	अर्थी वैन	07	011
12.	सरकारी अभिकरणों हेतु बैटरी चालित बसें	07	012
13.	सरकारी संगठनों हेतु अग्नि टेंडर	07	013
14.	अन्यत्र शामिल न होने वाले अन्य सार्वजनिक कार्य	07	999
15.	महत्वपूर्ण जीवनरक्षक भवनों अर्थात् आपातकाल में शरणस्थली के रूप में उपयोग किए जाने वाले सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल तथा सार्वजनिक भवनों की मरम्मत	07	014

16.	आपदा के कारगर उपशमन के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली	07	015
17.	अन्य	07	999

(i) एमपीलैड्स निधियां एक ग्राम (ग्राम का अर्थ एक राजस्व ग्राम से है) में केवल एक सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए प्रयुक्त होंगी ।

(ii) उन ग्रामों में जहां एक या अधिक सामुदायिक भवन पहले से विद्यमान हैं, चाहे उसका निर्माण एमपीलैड्स निधियों अथवा केंद्रीय/राज्य सरकार की किसी अन्य स्कीम की निधियों से हुआ हो, एमपीलैड्स निधियों से किसी और भवन का निर्माण नहीं किया जा सकता; और

(iii) एमपीलैड्स निधियों से निर्मित सामुदायिक भवन बिना किसी प्रतिबंध के स्थानीय समुदाय के सभी सदस्यों के लिए सुलभ होगा।

(iv) उन शहरों में जहां भूमि की कमी है वहां मौजूदा सामुदायिक भवनों पर अतिरिक्त मंजिलों के निर्माण की अनुमति है।

VIII रेलवे, सड़कें, पगडंडी और पुल (08)

1.	सड़कों, पहुंच मार्ग, संपर्क सड़कों और पगडंडियों का निर्माण	08	001
2.	फुटपाथों का निर्माण	08	002
3.	पुलिया और पुलों का निर्माण	08	003
4.	मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर लेवल क्रॉसिंग बनाना	08	004
5.	लेवल क्रॉसिंग (मानव युक्त अथवा मानव रहित) के स्थान पर रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	08	005
6.	रोड ओवर ब्रिज (आरओबी) जहां उपलब्ध नहीं है वहां सीढ़ियों का निर्माण	08	006
7.	रेल पटरियों को पार करने के लिए पैदल चलने वालों/सड़क का उपयोग करने वालों के लिए फुट ओवर ब्रिज (एमओवी) का निर्माण	08	007
8.	लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर डायवर्सन रोड का निर्माण	08	008
9.	जहां रेलवे पटरी के दोनों ओर सड़क के निर्माण के कारण, रेलवे पटरी पर अप्राधिकृत क्रॉसिंग है अथवा पशु पार करते हैं वहां रोड अंडर ब्रिज का निर्माण	08	009
10.	रेलवे स्टेशन को पहुंच मार्ग का निर्माण	08	010
11.	रेलवे स्टेशन के संचारी क्षेत्र का निर्माण	08	011
12.	रेलवे स्टेशन के संचारी क्षेत्र में यात्रियों के लिए अतिरिक्त शौचालयों का निर्माण	08	012
13.	रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म का निर्माण	08	013
14.	रेलवे स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण	08	014
15.	स्टेशन परिसर में प्लेटफार्म शेल्टर का निर्माण	08	015
16.	स्टेशन परिसर में पेयजल का प्रावधान	08	016
17.	स्टेशनों पर चालित सीढ़ी/ट्रेवलेटर का प्रावधान	08	017

18.	स्टेशन/लेवल क्रॉसिंग गेट पर सोलर लाइटिंग का प्रावधान	08	018
19.	स्टेशनों पर शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए सुविधाएं (जैसे रैम्प, अलग शौचालय आदि)	08	019
20.	अन्य	08	999
IX	**सफाई और जन स्वास्थ्य (09)**		
1.	सार्वजनिक जल निकासी हेतु नालियां और गटर	09	001
2.	सार्वजनिक शौचालय और स्नानघर	09	002
3.	कूड़ा उठाना और मल निपटान प्रणाली, स्थानीय निकायों के लिए वाहनों सहित अर्थ मूवर्स	09	003
4.	सफाई और जन स्वास्थ्य हेतु अन्य कार्य	09	999
X	**खेलकूद (10)**		
1.	खेलकूद गतिविधियों के लिए भवन	10	001
2.	शारीरिक प्रशिक्षण संस्थानों हेतु भवन	10	002
3.	मल्टी–जिम हेतु भवन	10	003
4.	स्थायी (अचल) खेलकूद उपस्कर	10	004
5.	मल्टी जिम उपस्कर	10	005
6.	ग्राम–स्तर/ब्लाक स्तर पर खेल मैदान/खेलकूद सुविधाओं का निर्माण	10	006
7.	खेलकूद से संबंधित कार्यों के लिए बिल्डिंग	10	007
8.	अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार स्थायी प्रकृति की सिंथेटिक हॉकी तथा फुटबाल टर्फ बनाना	10	008
9.	व्यायाम शालाओं (स्वस्थता केन्द्रों) का निर्माण	10	009
10.	जिला मुख्यालयों में दर्शकों के बैठने के लिए कंक्रीट के छोटे ओपन–एयर स्टेडियम का निर्माण	10	010
11.	स्थाई गार्डन जिम मशीने	10	011
12.	खेलकूद गतिविधियों के लिए अन्य सार्वजनिक कार्य	10	999
XI	**पशु देखभाल, डेयरी तथा मत्स्य पालन संबंधी कार्य (11)**		
1.	पशु–चिकित्सा सहायता केंद्र, कृत्रिम गर्भाधान केंद्र और प्रजनन केंद्र	11	001
2.	पशुओं के लिए आश्रय–गृह	11	002
3.	पशु चिकित्सालयों एवं औषधालयों का निर्माण	11	003
4.	सीमेन बैंकों के लिए भवनों एवं स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण	11	004
5.	अन्य	11	999
XII	**कृषि से संबंधित कार्य (12)**		
1.	किसानों के प्रशिक्षण एवं सहायता केंद्रों का निर्माण	12	001
2.	मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण बशर्ते किसी उपभोज्य वस्तु की अनुमति नहीं होगी	12	002

XIII	**हथकरघा बुनकरों के लिए कलस्टर विकास से संबंधित कार्य (13)**		
1.	निस्तारी उपचार संयंत्रों के मामले में यह प्रावधान है कि ऐसी परियोजनाएं सामान्यतः समुदाय के लिए हों न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए	13	001
XIV	**शहरी विकास से संबंधित कार्य (14)**		
1.	पगडंडी/पैदल पथों का निर्माण	14	001
2.	गैर–मोटर चालित वाहन लेनों/साइकिल मार्गों का अलग–अलग निर्माण	14	002
3.	वर्षा जल संचयन पार्कों का निर्माण–डेमों परियोजनाएं– प्रति नगरपालिका के लिए एक	14	003
4.	सामुदायिक शौचालय	14	004

टिप्पणीः

(क) कार्य सामान्यतः आम लोगों/समुदाय के लिए होंगे न कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए।

(ख) परिचालन तथा अनुरक्षण की लागत प्रयोक्ता सरकार/मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा वहन की जाएगी। (यह घटक कार्य को आरंभ करने से पहले जिला प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा)

(ग) भवन (जैसे खेलों के लिए बहुद्देशीय हॉल, व्यायामशाला, ओपन–एयर छोटे स्टेडियम, पशु चिकित्सालय तथा औषधालय, सीमेन बैंक, कृषकों के प्रशिक्षण सहायता केन्द्र और मृदा परीक्षण प्रयोगशाला आदि) का निर्माण तब ही किया जाएगा जब विशेष मद को विधिवत् मंजूरी दी गई है तथा इसके परिचालन तथा अनुरक्षण की जरूरतें एवं लागत (जैसे जनशक्ति, फर्नीचर फिक्चर, कार्यालय उपस्कर, उपभोज्य वस्तुएं, सुरक्षा आदि) को प्रयोक्ता सरकार/मंत्रालय/विभाग/संगठन द्वारा विधिवत् पूरा किया जाएगा।

(घ) जिला प्राधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एमपीलैड्स के अंतर्गत सृजित परिसंपत्तियों का यथोचित एवं नियमित उत्पादी उपयोग के आवश्यक लक्ष्य को विधिवत पूरा किया जाता है।

अनुबंध-V

करार फॉर्म

यह करार ———————————— को ———————————————— के राज्यपाल जो ————————————(पदनाम एवं पता) जिला प्राधिकारी जिन्हें आगे **''पहले भाग'' का प्रथम पक्ष;**

तथा

———————————————— (पंजीकृत सोसाईटी/पंजीकृत न्यास का नाम एवं पता) के मुख्य अधिशासी, जिन्हें आगे **''दूसरे भाग'' का द्वितीय पक्ष** कहा गया है, के बीच किया गया है।

जबकि प्रथम पक्ष, जिला प्राधिकारी के रूप में सांसदों द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के दिशा–निर्देशों के अनुसार स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर अनुशंसित विकासात्मक कार्यों को ———————————— जिला में कार्यान्वित करवाने के लिए एक मात्र प्राधिकारी है।

और

जबकि द्वितीय पक्ष, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 या किसी राज्य के किसी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत न्यास के रूप में (तिथि, मास, वर्ष) से ———————————— वर्ष से अधिक समय से समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों में लगा है तथा गैर लाभ अर्जित प्रचालन और अच्छी वित्तीय स्थिति के साथ समाज सेवा/कल्याण गतिविधियों के क्षेत्र में सुस्थापित और ख्याति प्राप्त है।

इसलिए अब दोनों पक्षों में इस करार पर सहमति हुई है और वे अपने आप को निम्नलिखित शर्तों से बाध्य मानते हैं :–

1. प्रथम पक्ष उपरोक्त सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत कार्यों के कार्यान्वयन हेतु सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के समय–समय पर संशोधित दिशा–निर्देशों (इसके पश्चात् एमपीलैड्स योजना के नाम से संबंधित) के अनुसार सांसदों द्वारा की गई अनुशंसा पर ———————————— के निर्माण का कार्य करेगा।

2. द्वितीय पक्ष, दिशा–निर्देशों के अनुसार आम जनता के लाभार्थ जनता द्वारा प्रयोग के लिए विषय पर प्रथम पक्ष द्वारा सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से सृजित परिसम्पतियों को प्राप्त करने तथा इसका रख–रखाव करने के लिए पात्र होगा।

3. एक कार्य ———————————————————————— (स्थान का नाम, जिला तथा पिन कोड) में ———————————— (कार्य का नाम) के निर्माण के लिए, जिसकी लागत पर दोनों पक्षों ने आपसी सहमति जताई है और जो सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत ———————————————————————— (संबंधित सांसद का नाम) द्वारा विधिवत रूप से अनुशंसित किया गया है, जो निर्माण कार्य पूरा होने के पश्चात् दूसरे पक्ष को सौंपने के लिए प्रथम पक्ष द्वारा कराया जाएगा।

4. प्रथम पक्ष, सोसाइटी/न्यास से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के खंड 13 के विशेष संदर्भ

में सोसाइटी के संस्था ज्ञापन तथा न्यास अधिनियम के धारा–77 तथा धारा 78 के विशेष संदर्भ के रूप में न्यास विलेख/तथा संगठन के अस्तित्व एवं प्रतिष्ठा से तथा एक गैर लाभ संस्था के रूप में उसकी कार्य प्रणाली, निष्पादन की पारदर्शिता, अच्छी वित्तीय स्थिति लोगों के बीच उसकी प्रतिष्ठा से अपने आपको संतुष्ट करने के लिए आवश्यक रिकार्ड मंगा सकता है।

5. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को इस आशय का ब्यौरा देगा कि जिस संगठन का वह प्रतिनिधित्व कर रहा है वह एक क्रियाशील संगठन है तथा पिछले तीन वर्षों से कार्य कर रहा है और सामाजिक सेवा तथा/अथवा कल्याण गतिविधियों में कार्यरत है।

6. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को यह भी ब्यौरा देगा कि द्वितीय पक्ष द्वारा विकास कार्यों के लिए प्रथम पक्ष को दी गई भूमि तथा स्थाई संपति सभी तरह की बाधाओं से मुक्त है, लंबित मुकदमेबाजी से मुक्त है तथा शहरी भूमि (हदबंदी तथा नियमन) अधिनियम, 1976 से प्रभावित नहीं है।

7. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को यह ब्यौरा भी देगा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से सोसाइटी ——————————————————————————————————————— अथवा ट्रस्ट के लिए बनाई गई परिसम्पतियां हर तरह की बाधा से, **सिवाय इस कार्य/परियोजना के उद्देश्य के लिए अग्रिम** के मुक्त हैं।

8. द्वितीय पक्ष को यह सुनिश्चित करना होगा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से निर्मित स्थाई परिसम्पतियां जो कि द्वितीय पक्ष द्वारा दी गई संपत्तियों पर निर्मित की गई हैं, आम जनता के लिए हमेशा उपलब्ध होंगी। यदि यह पाया जाता है कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित परिसंपतियों का जिस उद्देश्य से इस का निर्माण किया गया था, द्वितीय पक्ष द्वारा प्रयोग नहीं किया जा रहा है और/आम जनता की उक्त आधारी संरचना तक पहुंच नहीं है, तो प्रथम पक्ष दूसरे पक्ष को आवश्यक सूचना जारी करेगा तथा दूसरे पक्ष की राय पर विचार करने के बाद, यदि प्रथम पक्ष आवश्यक समझे तो उस परिसम्पति का अधिग्रहण कर लेगा एवं 18 प्रतिशत ब्याज की दर से **सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए गए निवेश के** बराबर लागत वसूल करेगा।

9. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित परिसम्पतियों का संपूर्ण स्वामित्व हमेशा के लिए राज्य/केंद्रीय सरकार के पास निहित रहेगा।

10. द्वितीय पक्ष सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना निधियों से निर्मित ऐसी परिसम्पतियों को बिना राज्य सरकार के लिखित अनुमोदन के विक्रय/हस्तांतरण/अन्यथा उसके किसी हिस्से का निपटान नहीं करेगा । सरकार के लिखित अनुमोदन के पश्चात् सभी परिस्थितियों में परिसंपत्तियों के विक्रय से प्राप्ति जो कि 18 प्रतिशत ब्याज की दर से सांस**द स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए गए निवेश की सीमा तक,** हमेशा प्रथम पक्ष के पास निहित एवं उनसे संबंधित रहेगी।

11. द्वितीय पक्ष, एतद्द्वारा परिसंपत्तियों के प्रचालन, रख–रखाव एवं व्यवस्था का पूरा उत्तरदायित्व लेता है बशर्ते, जिसका प्रथम पक्ष अथवा उसके किसी प्रतिनिधि/उसकी ओर से विधिवत प्राधिकृत नामित व्यक्ति द्वारा आवधिक रूप से लेखा परीक्षा तथा निरीक्षण किया जाएगा।

12. द्वितीय पक्ष, प्रथम पक्ष को नियमित रूप से तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 90 दिनों के अंदर–अंदर

वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा-परीक्षित लेखों को प्रस्तुत करेगा।

13. चूंकि इस करारनामे से अचल संपति पर 100/– रूपए से अधिक का ब्याज भविष्य में अर्जित होता है, इस करारनामे को संबंधित जिले में पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया जाना चाहिए।

14. इस करारनामे में जहां भी करारनामे में शामिल शर्तों के कार्यक्षेत्र तथा प्रभाव की पूर्ण व्याख्या की आवश्यकता होगा, जिला प्राधिकारी तथा सोसाइटी अथवा न्यास पद अपने उत्तरवर्ती अथवा अनुमत समनुदेशिती (समनुदेशितों) को शामिल करेगा।

साक्षी के रूप में उपस्थित पक्षों द्वारा अपने विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इस करारनामे को यहां उपरोक्त लिखे गए दिवस तथा वर्ष को कार्यान्वित किया गया है।

———————————— (राज्य) के राज्यपाल के लिए तथा उनकी ओर से जिला प्राधिकारी द्वारा निष्पादित

द्वारा

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
2. ————————————————————

सोसाइटी/न्यास/द्वितीय पक्ष, जिसे ————————— के संकल्प दिनांक ———————————— के द्वारा हस्ताक्षर करने तथा इस करारनामे को निष्पादित करने का प्राधिकार है, के लिए तथा उसकी ओर से

———————————— द्वारा निष्पादित

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में

1. ————————————————————
2. ————————————————————

अनुबंध-VI

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) के अंतर्गत मासिक प्रगति रिपोर्ट

(राज्य सभा/लोक सभा के प्रत्येक वर्तमान पूर्व–सदस्य के लिए अलग–अलग प्रपत्र)

दिनांक ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

माह के लिए एमपीलैड्स के अंतर्गत सूचना का विवरण

I. ब्यौरा :

राज्य :	निर्वाचन क्षेत्र/नोडल जिला
नोडल जिला पता .... पिन ☐☐☐☐☐☐	टेलीफोन नम्बरः एसटीडी कोडः कार्यालयः आवासः फैक्सः मोबाइलः ई–मेलः

संसद सदस्य का नाम श्री/श्रीमती .....

सांसद का कार्यकाल से तक

दिनांक ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐ दिनांक ☐☐ माह ☐☐ वर्ष ☐☐☐☐

पता .....

.....

.....

पिन ☐☐☐☐☐☐

II. वास्तविक निष्पादन

(लागत लाख रुपए में)

वर्ष	अनुशंसित कार्य		स्वीकृत कार्य		पूर्ण कार्य		अपूर्ण कार्य		
	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	अनुमानित लागत	संख्या	वास्तविक लागत	संख्या	किया गया व्यय	किया जाने वाला व्यय
कुल									

III. प्राप्त एवं उपयोग में लाई गई निधि

(रुपये लाख में)

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त निधि	प्राप्त ब्याज	वितरण उपरांत प्राप्त निधि	कुल निधि	उपयोग में लाई गई निधि			शेष निधि
					अ जा एवं अ ज जा क्षेत्र	अन्य	कुल	
कुल								

(क) भारत सरकार से प्राप्त निधि	
(ख) निधि पर प्राप्त ब्याज की राशि	
(ग) वितरण उपरांत प्राप्त निधि	
(घ) कुल (क+ख+ग)	
(ड.) स्वीकृत कार्यों की कुल लागत	
(च) निर्वाचन क्षेत्र को उपलब्ध कुल अस्वीकृत शेष (घ–ड.)	
(छ) कार्यान्वयन करने वाले अभिकरणों द्वारा व्ययित वास्तविक व्यय	
(ज) निर्वाचन क्षेत्र को उपलब्ध कुल निधि (घ–ज)	
(झ) स्वीकृत कार्यों को पूर्ण करने हेतु अपेक्षित निधि	
(ट) उत्तराधिकारी सांसदों को वितरण हेतु बचत	
(ठ) जिला प्राधिकारी द्वारा निरीक्षित कार्यों की संख्या (क) माह के दौरान (ख) संचयी	

IV. अनुसूचित जाति क्षेत्रों में कार्यों के वास्तविक एवं वित्तीय ब्यौरे

वर्ष	वास्तविक (कार्यों की संख्या)			वित्तीय (कार्यों की लागत) (रूपये लाख में)		
1	2			3		
	अनुशंसित 2 (क)	स्वीकृत 2 (ख)	पूर्ण 2 (ग)	अनुशंसित 3 (क)	स्वीकृत 3 (ख)	पूर्ण 3 (ग)

V. अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कार्यों के वास्तविक एवं वित्तीय ब्यौरे

वर्ष	वास्तविक (कार्यों की संख्या)			वित्तीय (कार्यों की लागत) (रूपए लाख में)		
1	2			3		
	अनुशंसित 2 (क)	स्वीकृत 2 (ख)	पूर्ण 2 (ग)	अनुशंसित 3 (क)	स्वीकृत 3 (ख)	पूर्ण 3 (ग)

बैंक तथा शाखा नाम एवं पता ————————————————————————

ब्यौराः बचत बैंक खाता संख्या ————————————————————————

शाखा कोड ————————————————————————

स्थान

दिनांकः

जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम बड़े अक्षरों में
पदनाम एवं मुहर

श्री/श्रीमती ———————————————————— **संसद सदस्य के लिए प्रति।**

(पता)

टिप्पणीः– (i) संसद सदस्य की अनुशंसा पर संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के कार्य निष्पादन हेतु निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले अन्य जिलों के लिए स्थानांतरित निधि से संबंधित सूचना शामिल कर नोडल जिले के जिला प्राधिकारी को एक समेकित रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

(ii) स्वीकृत राशि केवल ऐसी स्कीमों की लागत है जिसके लिए वित्तीय स्वीकृति योजना तथा अनुमानों को अंतिम रूप देने के बाद पहले ही जारी की जा चुकी है।

अनुबंध-VII

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
(एमपीलैड्स)

कार्य समापन रिपोर्ट

(कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा जिला प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली)

प्रमाणित किया जाता है कि आदेश सं. ———————————————————— दिनांक ———————————————— के तहत स्वीकृत कार्य सं. ———————————————————— (कार्य का विवरण) जिसे एमपीलैड्स के अंतर्गत रुपए———————————————————— ———————— (अंकों तथा शब्दों में) की लागत पर ———————————————— (स्थान) में निष्पादित होना था, को रुपय———————————————— की लागत पर पूरा कर लिया गया है और ———————————— (दिनांक) से प्रयोग करने की सूचना जिला प्राधिकारी को देते हुए प्रयोगकर्त्ता अभिकरण ———————————————— (नाम तथा पता) को सौंप दिया गया है।

बचत राशि अर्थात रुपए———————————————— (अंकों तथा शब्दों में) को ———————————————— (पता सहित बैंक का नाम) पर आहरित चैक सं. ———————————————— दिनांक ———————————— के तहत जिला प्राधिकारी के एमपीलैड्स खाते में वापस कर दिया गया है। कार्य का ब्यौरा संलग्न फॉरमेट में दिया गया है।

कार्यान्वयन अभिकरण के हस्ताक्षर

दिनांकः.....

स्थानः.....

जिलाः.....

अनुबंध-VIII

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
(एमपीलैड्स)

श्री..... के सांसद निर्वाचन क्षेत्र ———————————————————————— वर्ष ——————————————————————— हेतु एमपीलैड्स के अंतर्गत प्राप्त की गई निधि के उपयोग प्रमाण–पत्र का फार्म.

क्रम सं.	पत्र सं. तथा दिनांक	राशि	वर्ष के लिए	किश्त सं.
कुल				

प्रमाणित किया जाता है कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार के हाशिए में दिए गए पत्र के अंतर्गत वर्ष——————————————— में श्री ——————————— के पक्ष में स्वीकृत सहायता अनुदान ——————————————— रुपए में से संबंधित सांसद द्वारा अनुशंसित एवं एमपीलैड्स के दिशा–निर्देशों के अंतर्गत पूर्व वर्ष के अव्ययित ——————————————————रुपए में से ——————————रुपए का उपयोग कार्य निष्पादन हेतु कर लिया गया है वर्ष के अंत में ——————————————रुपए के अप्रयुक्त बकाया शेष को अगले वर्ष हेतु ले जाया जाएगा।

2. पूर्णतः संतुष्ट होने के बाद मैं प्रमाणित करता हूं कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान स्वीकृत किया गया था, विधिवत पूरी कर ली गई है और मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच की है कि धन का उपयोग वास्तविक रूप से उसी उद्देश्य के लिए हुआ है जिसके लिए यह स्वीकृत किया गया था। इस उपयोग प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करते समय भी मेरे द्वारा निम्नलिखित प्रकार की जांच की गई हैः–

1.

2.

3.

स्थान
दिनांक

मुहर

जिला प्राधिकारी के हस्ताक्षर
नाम (बड़े अक्षरों में)
पदनाम
दूरभाष

अनुबंध-IX

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना
(एमपीलैड्स)

लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने 31 मार्च ———————————————— (वर्ष) की स्थिति के अनुसार वार्षिक तुलन पत्र तथा लेखाओं और जिला प्राधिकारी तथा कार्य निष्पादक अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत लेखा बही, रिकार्डस तथा अन्य दस्तावेजों से संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की उसी तिथि पर, समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं भुगतान तथा आय व्यय लेखाओं की लेखा–परीक्षा कर ली है।

हमारी राय तथा जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा हमारे प्रेक्षणों, जो नीचे दिए गए हैं, के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:–

(क) तुलनपत्र को उस पर दी गई टिप्पणियों के साथ पढ़ा गया जो 31 मार्च ———————— (वर्ष) की स्थिति के अनुसार एमपीलैड्स की सत्य एवं सही स्थिति पेश करता है।

(ख) 31 मार्च ———————————— (वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु रुपए ———————————————— की तुलना में निधियों का अधिशेष सत्य एवं सही तस्वीर देता है।

(ग) प्राप्ति एवं भुगतान लेखा 31 मार्च ———————————— (वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु स्कीम के संव्यवहार की सत्य एवं ठीक स्थिति प्रस्तुत करता है।

(घ) स्कीम हेतु एक ही बैंक खाता चलाया जा रहा है।

(ड.) किसी भी धन को सावधि जमा के रूप में नहीं रखा गया है।

(च) बचत बैंक खाते में उपार्जित ब्याज को एमपीलैड्स पर प्रयोग करने हेतु प्राप्ति के रूप में माना गया है।

(छ) बैंक समाधान विवरण को प्रत्येक माह नियमित रूप से तैयार किया जा रहा है।

(ज) कैश बुक को वास्तविक उपार्जन के आधार पर लिखा जा रहा है।

(झ) आय तथा व्यय लेखा में दर्शाया गया व्यय उपयोग प्रमाणपत्रों में उचित रूप से प्रतिबिम्बित हो रहा है।

(ट) निधि को किसी और काम में लगाने का कोई मामला नहीं है।

(ठ) जिला प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित निम्नलिखित रिपोर्टें लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र का हिस्सा हैं:–

(i) 31 मार्च ———————————— (वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट।

(ii) 31 मार्च ———————————————— (वर्ष) तक की संचयी वास्तविक तथा वित्तीय प्रगति रिपोर्ट। (लोक सभा सांसदों के मामले में उनके प्रवेश के समय से ही तथा राज्य सभा सांसदों के लिए उनके कार्यालय की अवधि)

(iii) 31 मार्च.....(वर्ष) तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कार्यों का वास्तविक तथा वित्तीय ब्यौरा।

अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कार्यों का वास्तविक तथा वित्तीय ब्यौरा 1	**वास्तविक (कार्यों की संख्या)** 2		**वित्तीय (कार्यों की लागत) (रु. लाख में)** 3	
	संस्वीकृत 2 (क)	पूरा किया गया 2 (ख)	संस्वीकृत 3 (क)	पूरा किया गया 3 (ख)
अ.जा. क्षेत्र				
अ.ज.जा. क्षेत्र				

(iv) एमपीलैड्स निधि उपयोग प्रमाणपत्र

(ड) जहां तक हमारे द्वारा उक्त लेखा परीक्षित लेखाओं का संबंध है, इसमें लेखा परीक्षा संबंधी कोई आपत्ति नहीं है। (यदि लेखा परीक्षा संबंधी कोई आपत्ति लंबित हो तथा वर्तमान लेखा परीक्षा के दौरान आपत्तियां उठाई गई हों तो कृपया उसका ब्यौरा दें । यदि चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दर्शाई गई लेखा परीक्षा संबंधी आपत्तियां हों, तो मुहर तथा हस्ताक्षर सहित उन्हें इस प्रमाणपत्र के साथ संलग्न करें)।

(ढ़) 31 मार्च.....(वर्ष) को समाप्त होने वाले वर्ष में एमपीलैड्स के अंतर्गत निधियां प्राप्त करने वाले सभी न्यासों/सोसाइटियों द्वारा एमपीलैड्स के अंतर्गत किए गए सभी कार्यों की लेखापरीक्षा की गई है और इन्हें उपयुक्त पाया गया है।

(प्रमाण–पत्र लेखा परीक्षा करने वाली फर्म के लैटरहैड पर लेखा–परीक्षक (परीक्षकों) के मुहर सहित हस्ताक्षर, नाम, पता, टेलीफोन, फैक्स तथा ई–मेल को स्पष्ट रूप से दर्शाते हुए होना चाहिए)।

अनुबंध-X

वन एमपी – वन आइडिया
आवेदन–प्रस्तुति हेतु फार्मेट

आवेदक का ब्यौरा

1	आवेदक	व्यक्ति /टीम / संगठन	
2	आवेदक(कों) का नाम और व्यवसाय	क. ख. ग.	
3	आवेदक(कों) का पता		
4	आवेदक(कों) का टेलीफोन/ मोबाइल/ईमेल		
	अभिनव समाधान का ब्यौरा		
5	अभिनव समाधान का नाम/शीर्षक		
6	अभिनव समाधान के प्रयोग का स्थान		
7	अभिनव समाधान के उपयोगकर्ता		
8	अभिनव समाधान का क्षेत्र	क. शिक्षा और कौशल	च. ऊर्जा एवं पर्यावरण
		ख. स्वास्थ्य	छ. सामुदायिक एवं सामाजिक सेवा
		ग. कृषि	ज. कोई अन्य क्षेत्र (कृपया स्पष्ट करें)
		घ. जल एवं स्वच्छता	
		ड. आवास एवं अवसंरचना	
9	समस्या संबंधी विवरण (उस समस्या को वरीयता दी जाएगी जो आपके क्षेत्र में प्रमुख चुनौती के रूप में उपस्थित है)	क) समस्या क्या है? ख) यह भौगोलिक एवं जनांकिकीय आधार पर– किसे प्रभावित कर रही है	

10	अभिनव समाधान का सार	क) प्रस्तावित समाधान का एक विस्तृत विवरण दें (यदि आवश्यक हो, यहां उपयुक्त शीर्षकों के साथ तालिकाओं, चित्रों और आंकड़ों को शामिल किया जा सकता है) ख) वह क्या है जो इस अभिनव समाधान को वर्तमान में अपनाए जा रहे अन्य समाधानों से अलग करता है? यदि वर्तमान में कोई अन्य समाधान उपलब्ध नहीं है, उन कारकों की चर्चा करें जो आपके अभिनव समाधान को एक वास्तविक समाधान के रूप में व्यवहार्य बनाते हैं। ग) पहले प्राप्त किए गए पुरस्कारों/सम्मानों का ब्यौरा
11	अभिनव समाधान का कार्यान्वयन	क) अपने अभिनव समाधान को अधिक कारगर बनाने एवं प्रयोगकर्ताओं के लिए सुलभ बनाने हेतु, क्या आपको निम्नलिखित में से किसी की आवश्यकता है: (i) वित्तपोषण (ii) प्रोटोटाइपिंग में सहायता (iii) अनुसंधान एवं विकास संबंधी सहायता (iv) साझेदारी (v) विपणन एवं विक्रय में सहयोग ख) कार्यान्वित किए जाने पर इस समाधान का संभावित प्रभाव क्या होगा?
12	स्थिति	क) कृपया प्रस्तावित समाधान की वर्तमान स्थिति का विवरण दें (i) विचार के चरण में (ii) प्रोटोटाइप (iii) क्षेत्र ट्रायल/पायलट (कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें) (iv) पहले से बाजार में है (कृपया ब्यौरा प्रस्तुत करें) ख) यदि इसे पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है, कृपया 500–800 शब्दों में ब्यौरा प्रस्तुत करें और संगत दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न करें।
13	बौद्धिक संपदा अधिकार	क) कृपया सूचित करें क्या आपके द्वारा अथवा किसी अन्य के द्वारा, प्रस्तावित अभिनव समाधान का पेटेंट कराया गया है तथा/अथवा यह बौद्धिक संपदा अधिकार के तहत आता है। इस आशय का एक शपथ पत्र संलग्न करें। (यदि उत्तर नहीं जानते हैं तो इसकी सूचना दें)

14	व्यवसाय मॉडल	क) यदि आप अपने अभिनव समाधान के वाणिज्यीकरण के विषय में सोच रहें हैं और इसके लिए वित्तीय सहायता की अपेक्षा करते हैं, कृपया निम्नलिखित ब्यौरा प्रस्तुत करें: i. संक्षिप्त व्यवसाय योजना ii. विशिष्ट बाजार एवं भौगोलिक खंड जिन्हें आपके समाधान से सहायता मिलेगी iii. अभी तक प्राप्त किसी वित्तपोषण का ब्यौरा (सरकार, वेंचर कैपिटलिस्ट, परिवार आदि के माध्यम से) iv. वित्तपोषण (उधार सहित) जिसकी अपेक्षा आप फिलहाल कर रहे हैं और इन निधियों का उपयोग करने की आपकी योजना क्या है । कृपया अगले तीन वर्षों के लिए अपनी वित्तपोषण संबंधी आवश्यकताओं के भावी अनुमान को प्रस्तुत करें, जिसमें अनुमानित नकद प्रवाह शामिल हों । v. यदि आप किसी नए वेंचर की योजना बना रहे हैं, कृपया वित्तीय अनुमान, अपेक्षित निवेश, निधियों के उपयोग हेतु योजना, राजस्व मॉडल तथा प्रगति/उन्नयन हेतु मॉडल प्रस्तुत करें ।

टिप्पणी:

क) मदें 1–13 अनिवार्य हैं, जबकि मदें 14 वैकल्पिक है।

ख) पुरस्कार राशि को छोड़कर, 'वन एमपी–वन आइडिया' प्रतियोगिता व्यवसायीकरण के लिए किसी भी तरह की वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करेगी।

ग) कृपया आवेदन फार्म के साथ अपने अभिनव के बारे में कोई भी दस्तावेज सबूत भेजे। यह दस्तावेज, फोटोग्राफ, विडियो, न्यूज पेपर क्लिपिंग, आदि के रूप में हो सकता है।

घ) कृपया आवेदक (कों) का सार–वृत संलग्न करें।

ड) इस प्रतियोगिता में भाग लेते हुए, आवेदक प्रतियोगिता के दिशानिर्देशों का पूरी तरह पालन करता है।

च) अगर यहां कोई उचित आवेदक नहीं होता है, तब पुरस्कार किसी विशेष वर्ष में नहीं दिया जा सकता है।

छ) चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा तथा इस प्रतियोगिता से संबंधित सभी विषयों के लिए बाध्यकारी होगा।

स्थान: आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

तिथि:

घोषणा

(मैं घोषणा करता हूँ/हम घोषणा करते हैं कि यह अभिनव समाधान हमारा मूल योगदान है । मैंने/हमने प्रतिस्पर्द्धा के दिशानिर्देशों को पढ़ लिया है और उनका पालन करने की सहमति देता हूँ/देते हैं।)

आवेदक/आवेदकों के हस्ताक्षर

अनुबंध-Xक

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सम्मान-प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी .... ने .....(निर्वाचन क्षेत्र/राज्य का नाम) में आयोजित वन एमपी–वन आईडिया प्रतियोगिता में भाग लिया है ।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी ..... को प्रथम पुरस्कार/द्वितीय पुरस्कार/तृतीय पुरस्कार के रूप में ..... रुपए की नकद धनराशि एतदद्वारा प्रदान की जाती है ।

3. समस्या/समाधान का ब्यौरा .....

.....

.....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

दिनांकः

अनुबंध-Xख

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

प्रशंसा-प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....

सुपुत्र/सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... ने (निर्वाचन क्षेत्र/राज्य का नाम) .....में आयोजित वन एमपी–वन आइडिया प्रतियोगिता में भाग लिया है ।

2. वन एमपी–वन आइडिया प्रतियोगिता के अंतर्गत अभिनव समाधान उपलब्ध कराने के लिए उनके प्रयासों के सम्मान में उन्हें एतद द्वारा प्रशंसा प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है ।

3. समस्या/समाधान का ब्यौरा .....

.....

.....

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

दिनांकः

अनुबंध-XI

एमपीलैड्स कार्यों के बारे में पट्टिका का नमूना

संसद सदस्य का नाम .....

स्वीकृत कार्य का नाम .....

आरंभ करने की तिथि .....

पूरा करने की तिथि .....

स्वीकृत कार्य की लागत .....

एमपीलैड्स/अन्य स्रोत से वित्तपोषण का शेयर .....

उद्घाटन की तिथि .....

अनुबंध-XII

एमपीलैड्स योजना के अंतर्गत नोडल एजेंसियों की सीपीएसएमएस में पंजीकरण तथा ईसीएस/आरटीजीएस के माध्यम से योजना के तहत निधि का अंतरण करने संबंधी सूचना

(सभी कॉलम भरना अनिवार्य है)

एजेंसी का नाम.....

पता पंक्ति 1.....

पता पंक्ति 2 .....

शहर .....

राज्य .....

जिला .....

पिन कोड .....

संपर्क व्यक्ति .....

दूरभाष .....

ई–मेल .....

बैंक का ब्यौरा : (प्रत्येक सांसद के संबंध में अलग–अलग खातों का ब्यौरा) .....

सांसद का नाम .....

खाता सं. .....

*खाताधारी का नाम .....

बैंक का नाम .....

शाखा कोड .....

शाखा का नाम और पता .....

आईएफएससी कोड .....

*खाता आयुक्त/जिला कलेक्टर/मजिस्ट्रेट/उपायुक्त के नाम से होना चाहिए

मोहर सहित नोडल प्राधिकारी के हस्ताक्षर

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना दिशा-निर्देश

वेबसाईट : www.mplads.nic.in

Printed By : Prabhat Publicity # 08459794966